साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

www.samaymaya.com

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569, 7804872701
Phone Fax: +91 731 2015827

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 08 अंक 46 प्रति सोमवार इंदौर, 30 जून से 6 जुलाई 2014 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

बहुराष्ट्रीय कं. के लाभ को लाभ की सुरक्षा व पर्यावरण बिगाड़ने वाला कानून

समाप्त करो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06, लागू करो खा.अ.नि. अधि.54

25 करोड़ बेरोजगार, मिलावट, रसायन, अस्वास्थ्कर, सैकड़ों गुना लूट

भारत में बहुराष्ट्रीय कं. के इशारों पर बनाया और लादा गया खाद्य सुरक्षा एववं मानव अधि.06 जो पूर्णतः पूरे देश के 10 करोड़ किसानों और 15 करोड़ से ज्यादा दूसरे खाद्य व्यावसायिकों को पूर्णतः वे रोजगार कर बहुराष्ट्रीय कं. को सैकड़ों गुना लाभ वसूलने और लूटने की व्यवस्था करता है। शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने मोटा कमीशन डकार कर देश की जनता पर भविष्य में मोटा कमीशन डकारने के लिए थोपा, जबकि इस कानून का विदेशों में देखें तो बहुराष्ट्रीय कं. किस भयानक तरीकों से जनता का शोषण करने के लिए उपयोग कर रही है। पेक बंद सामग्री में शुद्धता की तो दूर न केवल मिलावट वरन उसमें ढेरों रसायनों का उपयोग स्वाद बढ़ाने ताजा बनाए रखने के लिए कर रही है। जिससे पुरूषों में नामर्दी, स्त्रियों में बांछपन लाने के साथ छोटी उम्र में ही बच्चों में ह्दयघात, मोटापा, केंसर, किडनी,

लीवर आदि की बीमारियों तेजी से घर कर रही है। हमारे देश में पेक बंद सामग्री के ये दुष्प्रभाव तेजी से पैर पसार रहे है। अभी जब तक यह कानून पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। पेक खाद्य सामग्री का उपयोग कोरी सानपत बघारने के लिए उच्चवर्गीय परिवार उपयोग कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बीमारियां उच्च वर्गीय परिवारों में तेजी से फैल रही है। महीनों पुरानी, रसायनों से बनी, 70 डिग्री से 0 डिग्री पर जमाई गई अधिकांश चाकलेटों, मैदों के बिस्कुट जिनके टीवी पर 24 घंटों में से 10 से 12 घंटे दिखाए जाने वाले 90 प्रश झूठे विज्ञापनों से आकर्षित होकर अधिकांश बच्चे और युवा इसके सेवन से न केवल दांतों की बीमारियां वरन् 90 प्रश उच्चवर्गीय अपचन, पेट दर्द, कब्जियत जैसी बीमारियों पाल कर युवा होते-होते अपेन्डीक्स, हर्निया से लेकर किडनी, लीवर, ह्दय, मस्तिष्कघात तक के शिकार हो रहे है। पर सत्ताधीशों को तो इससे फायदा ही होना है, एक तरफ मोटा कमीशन, दूसरी तरफ बीमारों पर ड्रग ट्रायल से दवा कं. के साथ डॉक्टरों से भी कमीशन मशीनों, औषधि व अन्य सामग्री में भी मोटा कमीशन।

सत्ताधीशों का मौजा ही मौजा

5 अगस्त 2014 से वैसे पूर्व स्वा. मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया था, परंतु मप्र की शिवराज सरकार 5 मार्च से 5 अगस्त तक के लिए बढ़ाया ताकि छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों को आसानी से इस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 के मकड़जाल में उलझाकर समाप्त किया जा सके। भले ही 50 लाख छोटे-छोटे व्यापारी, सब्जी, चाय, समोसे विक्रेता और प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा किसान भले ही बेरोजगार हो जाए। परंतु सास खाद्य उद्योग सब्जी, आटा, तेल, चावल, दाल, दूध, दही, नमकीन, मिठाई, चाय, चाट, फलों का रस, किराना, मसाले आदि का रु. 10 हजार करोड़ से ज्यादा का पूरा व्यवसाय बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में चला जाए तो इससे पेकिंग करके रु. 1 लाख करोड़ प्रतिदिन जनता से लूटकर (शेष पेज 7 पर)

क्या अमेरिका ने भारत, पाक, चीन, रुस को आतंकित करने छोड़े 5 आतंकी

अमेरिका को हथियार बेचने फैलाना जरूरी है आतंकवाद

अफगानिस्तान पर आक्रमण का उद्देश्य था, दक्षिण एशिया को आतंकित करना

भारत में हिन्दु राष्ट्रवादी मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही भले ही अमेरिका ने यात्रा का निमंत्रण दिया हो, परन्तु यथार्थ इसके विपरीत ये है कि कांग्रेसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन की तरह, मोदी अमेरिकी इशारों पर नहीं नाचेगा, भले ही वह कमीशनखोरी के चलते अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कं. वालमार्ट, मेक्डोनाल्ड, कोकाकोला, युनिलीवर, बीटीसी आदि के लिये और उनके इशारों पर बनाये गये कानूनों जैसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को, जो करोड़ों को बेरोजगार कर खाद्य व्यवसाय पर कब्जा कर, राष्ट्र को खोखला कर देंगे, उनके लिये वही भाजपा जो जीएसटी अर्थात माल व सेवाकर का विरोध कर रही थी जिससे राज्यों को आर्थिक रुप से पूर्णतः पंगु बना दिये जायेंगे आते ही लागू करने के लिये उतावली हुई जा रही है, ताकि दिल्ली में बैठकर 25% तक मोटा कमीशन डकार कर इन बहुराष्ट्रीय कं. को किसी भी बहाने छूट देकर देश के करोड़ों छोटे-मझौले व्यवसायों को आसानी से कर की भारी मार के चलते बंद करवाया जा सके, अर्थात इतनी सारी बहुराष्ट्रीय कं. को सुविधाएं और भारी लाभ कमाने और लूट की पूरी छूट देने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की सोच यह है कि जिन हथियार निर्माता कं. से उसे मोटा कमीशन मिलता था और अमेरिका की आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार हैं, (शेष पेज 2 पर)

अब तो पूर्ण बहुमत है, भाजपा का केन्द्रीय सत्ता में

तत्काल बंद करो संपूर्ण राष्ट्र में गौ हत्या व मांस निर्यात

कानून बनाइए, सच्चे हिन्दू का परिचय, दुधमुहों को असली गौ दूध दीजिए

राष्ट्र में 1974 की आजादी के बादउ 66 वर्ष बाद पहली बार 'किसी पूर्ण हिन्दुवादी होने का स्वांग भरने और राष्ट्रवादी होने का दंभ भरने वाली राजनैतिक, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं के दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, फिर मोदी सर्वप्रथम मंत्री है, जो आजाद देश में पैदा होकर प्रधान मंत्री बना कहर स्वयंसेवी है, जों राष्ट्र में गो हत्या बंद करवाने के लिए पिछले 66 वर्षों में हजारों आंदोलन कर चुकी है। अब जबकि येन-केन प्रकरेण भाजपा ने सत्ता हथिया ही ली है, तो उसके महत्वपूर्ण कार्यों की श्रेणी में गोहत्या रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का प्रावधान क्यों नहीं है। गाय की महिमा का वर्णन वेदों और पुराणों में किया गया है, उसने हिन्दुओं के सभी देवी-देवता करते हैं। उसकी पूजा की जाती है, हिन्दू धर्म में आस्था रखने वालों में घर में बनी पहली रोटी गाय के नाम ही होती है।, इन सब मान्यताओं के विपरीत उसी भारत से सबसे ज्यादा गायों की हत्याकर मांस निर्यात भी किया जाता है। उसी भारत की धरती पर गैर हिन्दू गौ मांस को बड़े चाव से खाते हैं। जबकि मानव जन्म के बाद मां के दूध के बाद गाय का दूध ही पीकर बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि शासन स्तर पर गौशालाओं में गौ रक्षा के लिए, गौवंश सेवा के धन या सहायता नहीं मिलती हो वैसे प्रदेश स्तर पर अधिकांश जिलों में गौवंश रक्षा, सेवा के लिए मिलने वाले अनुशासन से सैकड़ों गौशालाएं चलाई जा रही है। बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्र की गाय को पूजने, उसमें देवी देवताओं के वास वाले तथ्यों को दकियानूसी होने, गौ हत्या को बंद करने के तथ्य को बकवास करार दिया जाता है, पर इससे भारत के हिन्दू धर्म की मान्यताओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मानव जीवन में मां के जन्म देने के बाद मानव विकास के लिए उसका दूध ही न केवल शास्त्रों में वरन् वर्तमान भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने भी सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दूसरी मां का ही रूप मानता हैं, वरन् उसकी पूजा भी करता है। फिर ये किसी एक हिन्दू धर्म अनुयायी की बात नहीं वरन् 60 करोड़ हिन्दूओं की भावनायें जुड़ी हुई हैं। तो फिर वर्तमान मोदी सरकार न केवल गो हत्या के मुद्दे पर वरन् राम मंदिर के मुद्दे पर भी चुप है। लोकतंत्र का यह अटल सत्य हैं, कि सत्ता के बाहर बैठकर सत्ताधीशों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, नकारा, निकम्मेपन के लिए आंदोलन करना नारे लगाना आसान होता है, फिर वही चिल्लाने वाली सत्ता के बैठते है। फिर उन्हें भी अपना धन कमाने, सत्ता सुख भोगने, जनता अपेक्षा करने लगते हैं। फिर उनके ही नियम, धर्म, उनके ही गले की फांस बनने लगते हैं। यह एक माह में मोदी नें अच्छी तरह समझ लिया होगा, स्वाभाविक है कि अब गौ हत्या बंद करवाना, मंदिर बनवाना उनके एजेंडे में ही न हो।

अंग्रेजों की 1860 की भा.दंड संहिता में कब बदलाव होगा...

राज्यों की भ्रष्ट पुलिस पर हो केंद्रीय नियंत्रण

99 प्र.श. लड़ाई झगड़ों, लेन-देन को आपसी का बताकर पला झाड़ती है, वहीं लेन-देन करने पर उसी में गिरफ्तारी और चालान पेश होता है, फिर सब झूठा भी चलेगा

भारत में अंग्रेजों की बनाई भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1890, जिसे अंग्रेजों ने गुलामों पर नियंत्रण भय और अपने शासन को मजबूत करने के लिये बनाया था, वर्तमान में डेढ़ शताब्दी के बाद वैसी की वैसी ही लागू है, क्योंकि जो सत्ता में चुनकर पहुंचता है, वह राष्ट्र की जनता को गुलामों की तरह, जैसे अंग्रेज हांकते थे, ही हांकना और अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, इसलिये उसे बदलना भी नहीं चाहता जिसका भरपूर दोहन अपनी सेहत, कमाई के लिए पुलिस विभाग करता है।

आजादी के बाद से सैकड़ों कानून बमने, संविधान बना, सबमें सत्ताधीशों ने स्वहित में, अपनी कमाई और सुरक्षा के लिये अपरिवर्तनशील संविधान तक में ही अनेकों संशोधन कर दिये तो दूसरे कानूनों की तो बिसात ही क्या थी, उन्हें ही लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने जनता को गुलाम बनाकर हांकने, बहुराष्ट्रीय कं. से मोटी वसूली करने उनके हाथ में राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर, जनता के मौलिक अधिकारों को गिरवी करने वाले कानून जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 तक लागू कर दिये, जिसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, इन सबके विपरीत भारतीय दंड संहिता, भा. दंड प्रक्रिया संहिता में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किये गये, जो पुलिस को भ्रष्टाचार करने, निरीहों निरपराधियों को फंसाने, अपराधियों को बचाने के हर थाने पर सुबह से शाम तक न केवल सैकड़ों खेल करती है, वरन् 99% अपराधों में, फरियादी से आवेदन लेकर टरका दिया गया है, मारपीट, लड़ाई, झगड़ों मामलों में गंभीर अपराधों में भी पुलिस को 100 नं. पर फोन करने पर भी या तो यह आवाज आती हैं, यह नं. ही नहीं हैं, सही नं. देखकर पुनः डायल करें, आस्तित्व में नहीं है। पहुंच से बाहर है, लाइनें व्यस्त हैं। यदि फिर भी अपने थाने एसआई, एएसआई को फोन कर भी दिया तो पुलिस भेजते हैं और चुप हो जाते हैं। ऐसे में हर शहर के अधिकांश थानों में हजारों प्रकरण रोज ही घटते हैं। थोड़ा समझदार हुआ तो उससे कहा जाता हैं, लिखकर दे जाओ, यदि मजबूरीवश मार-पीट, लड़ाई-झगड़े की गंभीर घटनाओं में मजबूरी में प्राथमिकी दर्ज कर भी ली जाती हैं, तो आपसी रंजिश का मामला बनाकर पुलिस इतिश्री कर अपराधियों को सरेआम संरक्षण दी हैं, बेशक यही अपराधी उसकी महीना वसूली, हफ्ता वसूली का स्त्रोत भी होते हैं।

(शेष पेज 4 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

मप्र सूचना आयोग, आयुक्त भर बदले भ्रष्ट स्टाफ पुराना ही

सुनवाई से पहले नहीं भेजते अनावेदक का जवाब

5-6 वर्ष बाद हो रही सुनवाई में भी आवेदक को नहीं बताया जाता कि किस तारीख कि किसके बारे में अपील की थी, निर्णय के बाद उसकी प्रति भी नहीं भेजते

अनावेदक को बचाने, जनसंपर्क ने आयोग के तहत मात्र धारा 4 की जानकारी भर भेजी

मप्र सूचना आयोग में नए आयुक्तों की लंबी अवधि क्के बाद भले ही नियुक्तियां कर दी गई हो, परंतु वहां बैठा सार्फ सचिव पराग करकरे से लेकर बाबुओं तक वो ही पुराने ही हैं। जो आयोग में बैठाकर अनावेदक सरकारी अधिकारियों को बचाने, आवेदकों के साथ छलकपट करके उन्हें हड़काने के परास्नातक थे। इसलिए आयोग अपने वही घोंघा चाल से चलने लगा है। खुले में इनकी सेवाचाकरी करने वाले अनावेदकों की कृपा दृष्टि पाने के लिए आवेदकों के साथ वही छलकपट पूर्ण कार्यशैली में कार्य प्रारंभ हो चुका है। अपीलार्थियों को 5-6 वर्ष पूर्व फाइल की गई अपीलों में सुनवाई हेतु बलाने भेजे जाने लगे हैं। परंतु यहां भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत अपीलार्थियों या आवेदक को, उसकी अपील के विरूद्ध अनावेदक से मांगे गए जवाब की प्रति तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही ताकि आवेदक 5-6 वर्ष पुरानी अपील में अनावेदक के विरूद्ध सूचना आयुक्त के सामने तर्क न कर सके, और अनावेदक को बचाने, उसके जवाब को सही ठहराने अपील खारिज करने में ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। जबकि यहां बैठे धूर्तों ने एक ही लिफाफे में भेजी गई किसी अपील को पंजीकृत करने में न्यूनतम 3 माह तो किसी 8-10-12 माह बाद भी पंजीकृत करके आवेदक को नहीं बताया किस तारीख की अपील में कौन सा अनावेदक है, उसके विरूद्ध किस विषय के दस्तावेजों के विरूद्ध अपील की गई थी, अब 5-6 वर्ष बाद अनावेदक किन दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध अपना तर्क सूचना आयुक्त के सामने रखेगा, क्योंकि आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध किसी ठोस आधार पर ही पहली अपील में निराकरण न होने पर ही अपील की होगी, वैसे भी 98 प्रश सूचना के अधिकार में दिए गए आवेदनों में जानकारी न मिलने पर भी, दूसरी जानकारी देने, पैसे जमा करने के बाद भी जानकारी न देने उल्टा ही शक्ति संपन्न सरकारी अधिकारी साम, दक्ष, दंड, भेद के सारे गुण अपना कर जानकारी नहीं देने के बाद भी दूसरी अपील तक नहीं पहुंच पाते, अब इन 2 प्रश अपीलें जो हजारों की सख्या में भी 5-6 वर्ष सुनी भी गई, तो क्या औचित्य है, क्योंकि संबंधित अधिकारी का स्थानांतरण हो चुका होता है,सेवा निवृत्ति के बाद फिर वह सहानुभूति का पात्र बन जाता है, फिर नया शास. अधिकारी आवेदक पर दबाव बनाता है कि अब क्या करोगे 5-6 वर्ष पुरानी जानकारी का, फिर भी औपचारिकताएं निभाना आवश्यक है। मप्र के राजनीतिज्ञ व सत्ताधीशों ने आयोग में आयुक्त बनाकर, राजयोग का अवसर प्रदान किया है, वो इसलिए तो नहीं किया है कि वो उसी सत्ता में बैठे अधिकारियों को धारा 19 (8) ब में आवेदकों को उनकी क्षतिपूर्ति, और 19(8) स में उन अधिकारियों के विरूद्ध दंडारोपण कर सत्ता के अधिकारियों के भ्रष्टाचर से संबंधित दस्तावेजों को आवेदक को उपलब्ध करवाकर सरकार की मुसीबत बन जाएं। अपने खास लोगों को सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति ही इसलिए दी जाती है, कि वो आवेदकों को येन-केन प्रकरण चलता कर, अनावेदकों को बचाकर भ्रष्टाचार की जानकारी बाहर न जाने दें।

खाद्य वस्तुओं का वायदा व्यापार, 25 प्रश से ज्यादा बैंक ऋण देना

पूंजीपतियों को पहुंचा फायदा, उतारेगा चुनावी कर्ज-मरे जनता

केजी बेसिन-06 का समाप्त करों अनुबंध रिलायंस का देश को 8.4 प्र.यु, बांग्लादेश को 2.4 प्र.यु., मोदी या मनमोहन सबका उद्देश्य देश की जनता को लूटवाकर मोटा कमीशन हजम करना

वर्तमान प्र.म. देश की जनता के अच्छे दिन के सपना दिखाकर कड़वी दवा की खुराक देने के नाम रेल किराया तो बढ़ा ही दिया अब हर वस्तु की महंगाई बढ़ा कर रिलायंस, टाटा, वालमार्ट, आइटीसी, बिरला, हिन्दुस्तान लीवर जैसी अनेकों देशी-विदेशी अनेकों कं. को फायदा पहुंचाने के लिए पहले उन्हें स्टॉक की कीमत का 70 से 90 प्रश होगा, ऋण दिलवाकर लाखों करोड़ का स्टाक करवाएंगे, फिर ये जमाखोर कं. उसी जनता से दस गुने से लेकर दस हजार गुना कीमत पर वहीं माल बेंच कर लाभ कमाऐगी। 100 प्रश विदेशी सीधे निवेश करवाने का थोक बाजार में करने का चुनावी वादा उन कं. से कर ही चुके थे, जिसके बदले में रु. लाख करोड़ चुनाव लड़ने के लिए 1000 से ज्यादा सभाएं पूरे देश में 2-3 वर्षों में की थी, जिस पर न्यूनतम रु. 50 करोड़ प्रति सभा पर खर्च हुआ। 1 हजार से ज्यादा सभाएं करवाने में रु. 50 हजार करोड़ खर्च किया गया। बाकी 50 मीडिया को मैनेज करने के लिए खर्च किया गया। चुनाव आयोग इसके जिला निर्वाचन अधिकारी, सह जिलाधीशों की जमावट करने, पूरे देश की मुद्रित और दृष्य श्रव्य मीडिया को खरीदने में किया गया। उस कर्ज को लौटाने के लिए बेचारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो को उनके लाभ कमाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनता कल की मरती हो तो आज मरे, वह तो मरने के लिए ही पैदा हुई है, फिर मोदी जी जनता के वोटों से नहीं वरन् चुनाव आयोग की जमावट, मशीनों और जालसाजी पूर्ण वोटों की गिनती और कांग्रेस के वाक ओवर से जीते हैं। इसलिए ही हारते हुए राहुल गांधी को जिताकर स्मृति ईरानी को हराया गया।

जबकि महंगाई खत्म करने की मोदी की अगर दिली इच्छा हो तो केवल दो कार्य करने से संपन्न हो जाएगी, जिसे समयमाया पिछले दस वर्षों से लगातार प्रकाशित कर रहा है। पहला तो खाद्य वस्तुओं का वायदा व्यापार जिस पर पूर्णतः सहा खेला जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तुरंत समाप्त करों, दूसरा खाद्य वस्तुओं पर किसी को भी 25 प्रश से ज्यादा बैंकों द्वारा जनता के जमा धन से ऋण नहीं दिया जाए, न ही खाद्य वस्तुओं की व्यापार बहुराष्ट्रीय कं. के हाथों में सौपा जाए जो लाखों करोड़ रु. लगाकर भारी जमाखोरी कर रही है। यथार्थ में महंगाई के पीछे मोटे लाभ के लिए ही बहुराष्ट्रीय कं. कब्जा जमाना चाहती है। जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कीमतों का है,तो सबसे पहले अंबानी बंधुओं का केजी बेसिन-06 के कुओं का अनुबंध समाप्त किया जाना चाहिए, जो देश की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर देश में ही अ.डा. 8.4 प्रति यूनिट में गैस दे रहे है, जबकि वही गैस अ. डॉलर 2.4 प्र.यु. में बांग्लादेश को आपूर्ति कर रहे है। ये लोकतांत्रिक देश की सरकार है या लूटतांत्रिक देश की जो देश को भूखा रख महंगा सामान बैचे विदेशों में एक चौथाई दर पर आपूर्ति करें।

अंबानी बंधुओं को फायदे का सवाल है तो मोबाइल सेवाओं में देश की जनता से बिना कुछ किए भी हर दिन हजार करोड़ से ज्यादा की लूट कर रहे है। यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री बन ही गए हैं तो सबसे पहले अपनी पूंजीपतियों से कमीशन और चुनावी चंदे की प्रेम कहानी बंद कर स्व. इंदिरा गांधी की तरह कुछ कड़वी दवा उन्हें भी पिलायें। अभी तो पूरे 5 वर्ष सत्ता चलानी है कहीं और फायदा पहुंचाया जा सकता है। अभी तो जनता को अच्छे दिन का सपना पूरा करके दिखाओं, महंगाई काबू करना बहुत बड़ा खेल नहीं है। खाद्य वस्तुओं के सहा व्यापार से केवल पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंच रहा है आमजन तो लूट ही रहा है। बस जरूरत है तो दृढ इच्छा शक्ति की, सच्चे दिल से जनता को राहत पहुंचाने की, फिर खाद्य वस्तुओं में एफडीआई क्या सिद्ध करता कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट, झूठी,जालसाज और लूटेरी है, जो हर सत्ताधीश की तरह सत्ता पाते ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर जनता को लूटने और लुटवाने में जुटी है।

अमेरिका को हथियार बेचने फैलाना जरूरी है आतंकवाद

पेज 1 का शेष

उसके हथियार बिकवाने के लिये आवश्यक है कि पुनः आतंकवाद को पाल-पोसकर पुनः जीवित किया जाये इसलिये आवश्यक है कि अपने सैनिकों को छुड़ाने के बहाने दुर्दांत आतंकवादियों, जिनमें मो. फजल, नुरुउल्लाह नूरी, अब्दुल हक, वारिफ, मो. नबी ओमरी खरीउल्लाह खेरखा अमेरिकी जेलों से छोड़ दिया गया मात्र 2 सैनिकों के अपहरण के बदलेंगे, जिसकी न केवल पूरी दुनिया में वरन् उसके ही राष्ट्र अमेरिका में भी भारी आलोचनायें हो रही हैं। दूसरी ओर ओबामा स्वयं मुसलमान हैं, स्वयं अच्छी तरह जानता है कि पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से अपने हथियार बेचने की विपणन व्यवस्था के अंतर्गत फैलायी जा रही आतंकी गतिविधियों से पूरे विश्व खास तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान व अन्य राष्ट्रों के मुस्लिमों के भला होने की तो दूर वो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं।

ओबामा को राष्ट्रपति बनाया ही इसलिये गया था कि अमेरिका की इन धूर्त आतंकवादी गतिविधियों से जिनमें अमेरिका ने मुस्लिमों का उपयोग कर अमेरिकी हथियार निर्माता कं. के हथियार बेच पूरी दुनिया में मुस्लिमों की न केवल छवि बर्बाद की वरन् मुस्लिमों का आतंकवाद का पर्याय बना दिया, रुस से हथियारों के क्षेत्र में वो अमेरिकी प्रतिद्वंदिता चलती थी वो 1990 के बाद समाप्त होती चली गई, स्वाभाविक था कि शीतयुद्ध जो अमेरिका और रुस दो ध्रुवों के बीच बंटी दुनिया में हथियार खरीदने की होड़ भी समाप्त हो गई, रुस को बिखेरने के बाद अमेरिका को लगता था कि वह पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर दुनिया को अपने इशारे पर हांक लेगा, परन्तु इसका यह सपना चूर-चूर बिखर गया, बेशक उसने इसके लिये ईराक पर परमाणु और रासायनिक हथियारों की आड़ में आक्रमण कर उसके तेल के कुऐं हथियार लिये, परन्तु अफगानिस्तान में उसकी ये चाल न केवल भारी पड़ गई वरन् उसे कंगाल भी कर गई क्योंकि उसका ईराक के बाद अगला निशाना ईरान था और अफगानिस्तान पर आक्रमण कर कब्जा जमाकर उसकी चालों में ईरान को तीनों तरफ से घेरने का भी था, ताकि न केवल पेट्रोल के कुओं पर कब्जा कर ले वरन् अफगानिस्तान तक समुद्र से ईरान से होता हुआ रास्ता भी बना कर स्थायी रुप से अफगानिस्तान में जमा रहकर रुस व 26 अन्य सोवियत रुसी देशों के साथ चीन, भारत को चमका-धमका सके, आतंकवाद फैला कर रुस, चीन, भारत की आर्थिक, सामरिक और व्यावसायिक स्थितियों को कमजोर कर अपनी दादागिरी कर सके पर विश्व में संचार साधनों और मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने ईरान पर आक्रमण करने की उसकी हर चाल पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से कामयाब नहीं हो सकी, जबकि युद्ध करने, थोपने से उसके हथियारों का प्रदर्शन, कार्यक्षमता जो हथियारों की बिक्री के बाजार विपणन व्यवस्था का हिस्सा था, समाप्त हो जाने से अनेकों हथियार निर्माता न केवल मंदी की मार झेल रहे हैं

वरन् उन्होंने लाखों लोंगों को अमेरिका में बेरोजगार भी बना दिया। इसलिये आवश्यक था कि किसी भी बहाने आतंकवाद को फैलाने, बढ़ाने के लिये अपने ही कानूनों को धता बताते हुए उन खूंखार आतंकवादियों को किसी भी बहाने बाहर किया जाये, इससे ओबामा ने एक तीर से कई निशाने एक साथ ही साधे, जिसके दूरगामी परिणाम भले ही दक्षिण एशिया में कितने भी घातक हो, फिर जितने भी घातक होंगे, उतना ही आतंकवाद और आतंकवाद से दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में दहशत और दहशत ही तोहथियारों की बिक्री का मूलाधार हैं, जो अमेरिकी न केवल अर्थव्यवस्था और रोजगार का साधन थी, वरन् उसकी राजनैतिक दलों को चंदा देने का सबसे ज्यादा क्षमता थी, ये ही हथियार कं. अमेरिकी प्रशासन को मोटा चंदा देकर किसी भी देश जिससे भविष्य में तेल कं. व अन्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे भविष्य में मोटा लाभ प्राप्त किया जा सके, आक्रमण करने के बहाने ढूंढने, उनके आधार पर आक्रमण करने जिसमें नाटो राष्ट्रों की सेनाओं को साथ लेकर आक्रमण किया जा सके, जिससे हथियारों का स्वाभाविक प्रदर्शन और विपणन कार्य होता था, जैसा कि सन् 2000 के बाद ईराक, अफगानिस्तान में हुआ और ईरान में हो नहीं पाया। अमेरिका ने 2002 के गुजरात दंगों के आधार पर जिसमें मुस्लिमों के मारे जाने के बारे में पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया, जबकि कारसेवकों को जिंदा ट्रेन में आग लगाकर जला दिया गया, उसके बारे में पूरी तरह से मीडिया में सफाई कर दी गई, जिसमें मोदी की भूमिका को संदिग्ध मान अमेरिकी वीजा नहीं दिया गया, वह कहानी अमेरिकी प्रशासन और बराक ओबामा के जहन में बैठी है, भले ही प्रधानमंत्री बनने पर मोदी का बधाई दे दी गई हो और अमेरिका आने का निमंत्रण दे दिया गया हो, इसके विपरीत सच ये है कि मोदी के हिन्दुत्ववादी चेहरे के विरोध में 5 आतंकवादी छोड़कर भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने लाख नवाज शरीफ मोदी से प्रभावित होने का दंभ भरे, परन्तु आईएसआई और पाकिस्तानी सेना भारत से युद्ध के लिये तैयार खड़ी है, पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आने के बाद से सीमा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की न केवल घटनायें बढ़ी है वरन् कश्मीरी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, उसी की शह पर सीमा पर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलीबारी और मोर्टार दाग रही हैं, जब तक उमर अब्दुल्ला को खुलकर मोदी दम नहीं देंगे वो शूकर अपनी हरकतें करता रहेगा, काश्मीर को दी गई धारा 370 को भी माहौल बनाकर तुरंत समाप्त करने, कश्मीर को भारत का सामान्य राज्य घोषित कर तरीके से वहां के देशद्रोहियों का सबक सिखाना ही होगा, चाहे अमेरिका 5 आतंकवादी छोड़े या 50, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को उकसाकर भारत को सैन्य कार्यवाही पर मजबूर करें, मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा।

अमेरिका के बारे में मोदी को तत्काल में यह मानकर चलना चाहिये कि वो मुख में राम बगल में छुरी रखकर चलता है, तो कभी किसी का सगा नहीं रहा, न रहेगा उसको दुनिया के दादा होने का घमंड हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था को खंड-खंड बिखेर कर तोड़ना होगा, उसकी किसी भी बहुराष्ट्रीय कं. को भारत में न केवल प्रवेश वरन् उसे व्यवसाय करने की अनुमतियों को समाप्त कर, उसे विभिन्न कानूनी दावपेंचों में उलझाकर उसकी भाषा में ी जवाब देकर बात करना, उसके इंटरनेट और गूगल मे माध्यम से की जा रही जासूसी कांडों को समाप्त कर आर्थिक रुप से विपन्न बनाकर कमजोर कर उसके डालर को धूल चटानी होगी तब ही भारत को श्रेष्ठता का स्तर हासिल होगा।

म.प्र. के मु.मं. चौहान का धूर्तता और मूर्खतापूर्ण कदम परिवहन विभाग में

स्टॉफ की भर्ती की अपेक्षा, जालसाज दलालों को शास. नियुक्तियां

मु.मं. और मंत्री परिषद की सोच के दिवालियेपन या भ्रष्टाचार, जालसाजियों पर कानूनी ठप्पा

म.प्र. का परिवहन विभाग बाबुओं चपरासियों से लेकर निरीक्षकों और अधिकारियों की कमी से भारी परेशान है, यह तथ्य पिछले तीन दशकों का दर्दनाक सत्य है, स्टाफ 1980-90 के स्तर पर ही स्वीकृत है, जबकि कार्य 10 गुना ज्यादा हो चुका है, बढ़तेसमय के साथ कानूनी पेचीदगीयां वाहनों की वाहन चालकों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती जा रही हैं, परन्तु ठस और निकम्मे और महाभ्रष्ट देश की ओर प्रदेश की प्रशा. व्यवस्थाओं के असली, अपूज्य साक्षात खुदा इंडियन एव्यूसिंग सेवाओं के धूर्तों और मक्कारों को जो आयुक्त, सचिव, प्रधान सचिव और मुख्य सचिवों के रुप में मंत्रालयों में, अजगरों की तरह कुंडली मारे मौके में शिकार को हजम करने की ताक में बैठे रहते हैं। उन्हें ये विभागीय परेशानी तीस से ज्यादा वर्षों से समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ हो गया तो स्वाभाविक है सारे नियम-कानूनों से कार्यों को संपन्न किया जायेगा तो भ्रष्टाचार और जालसाजियों से कमाई कैसे होगी, जो पिछले 30 से ज्यादा वर्षों से दलालों और एजेन्टों के माध्यम से अरबों रु. में मिल रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण एआरटीओ अरविन्द तिवारी जिसके पास छापे में करोड़ों की और वही हाल बाबु रमन धूलधोये की छापे में पकड़ी गई संपत्तियों से सिद्ध होती हैं, जबकि वहां ऐसे दसियों बाबु, एआरटीओ से लेकर पूरे म.प्र. में अनेकों क्षे. या अधिकारियों से लेकर आयुक्तों तक का है, जो प्रतिदिन केवल निजी बसों को 1000 से ज्यादा रुट परमिटों को जारी करने के मामलों में इन्हीं भ्रष्ट जालसाज दलालों और एजेन्टों के माध्यम से वसूलकर हजम कर जाते हैं।

ये वही एजेन्ट हैं। जो दो पहिया वाहनों के पंजीयन शुल्क जमाकर बसों, कारों और ट्रकों को चलवाते हैं और अरबों रु. का परिवहन विभाग का हर वर्ष चूना लगवाते हैं। बदले में एजेन्ट और परिवहन विभाग

के बाबु और अधिकारी डकार जाते हैं। ये ही वो एजेन्ट हैं जो इंदौर के आरटीओ कार्यालय से पू.प्र.मं. अटल बिहारी वाजपेयी का वाहन चालन अनुज्ञप्ति निकलवाते हैं। ये वही एजेन्ट हैं, जो चोरी के दो पहिया वाहनों से लेकर बसों, ट्रकों, कारों तक के वैधानिक कागजात बनवा लेते हैं। इन्हीं एजेन्टों के माध्यम से गाड़ी चोरी के अरबों रु. के वाहन बीमे डकारे जाते हैं। जिनके घरों पर सामानांतर परिवहन न केवल कार्यालय चलता है वरन् सील, सिक्के व कार्यालय मूल नस्तीबद्ध फाइलें तक घर पर मिल जाती हैं। जिनके किस्से कहानियां आये दिन मारापीटी से लेकर तोड़फोड़, फाइलें गायब करने, समाचार पत्रों की सुर्खियों में बनी रहती हैं।

पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बड़े-बड़े भष्टाचार किये उल्टी सीधी टिप्पणियां लिखकर अरबों डकारें, परन्तु भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसे उल्टे-सीधे स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हुई जालसाजियों को कानूनी रुप से वैधानिकता प्रदान करने की न कोशिश की, न कानून बनाया गया।

भाजपा की अनुशासित होने और जनहितों का ख्याल रखने का ढोंग करने वाी शिवराज व उसकी सरकार ने तो उससे दस कदम आगे जाकर सबकुछ जानने के बाद भी ऐसे कुकर्मों, जालसाजियों और भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाकर ऐसे एजेन्टों को ही जिनका काम ही अवैध तरीकों से अवैध कार्यों को वैधानिक रुप देकर भविष्य में देश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा को खतरा बनाने पर तुली हैं, उसकी वहां से आसानी से आतंकवादी अपराधी ऐसे वाहनों का उपयोग करेंगे, जिनका परिवहन विभाग के पास रिकार्ड ही नहीं होगा, 299 अंबेडकर नगर इंदौर में ही एक परवेज जो देवास जिले का रहने वाला हैं, हीरोहोंडा 100 सीडी बाइक के मुखौटे पर दैनिक भास्कर प्रेस लिखवाकर अवैध कार्य संपन्न करता है, जिसका नं. एमपी या एमई. 0323 हैं, जिसका रिकार्ड ही परिवहन कार्यालय की साइट पर नहीं हैं, एमआईजी थाने को एसपी आफिस की अपराध शराख ने भी खोजबीन की पर उसका कोई रिकार्ड नहीं मिला। आईजी को सीडी के साथ शिकायत की गई, जिसकी भी भ्रष्ट के पास कार्यवाही करने थाने बुलाकर पूछताछ करने का समय नहीं, कल के दिन इसी बाइक से किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसमें 25-50 लोग मारे गये तब किसे पकड़ा जा सकेगा, बेशक किसी देवास के एजेन्ट ने ही इस काम को अंजाम दिया होगा, इससे कोई बड़ा कांड होने के बाद भी परिवहन विभाग उल्टे ही लीपापोती करने का ही प्रयास करेगा। अपने को बचाने, अब जब सरकार ने ठान ही लिया है, कि स्टाफ की भर्ती करने की अपेक्षा आठवीं-दसवीं पास इन जालसाजों को जो पूरे म.प्र. के 51 जिलों में लगभग 10000 होंगे स्थायी शासकीय कर्मचारी होने का पुरुस्कार दे रही है, सभी बड़े वाहन चालकों को बिना पंजीयन शुल्क पथकर चुकाये भी एजेन्टों के घरों से परिवहन की मुद्रा युक्त वैधानिक प्रपत्र, चोरी, वैधानिक, अवैधानिक रुप से उपलब्ध हो जायेंगे। ऐसा नहीं है कि इन एजेन्टों की मेहरबानी और जालसाजियों 25% से ज्यादा बिना कार्यालयीन औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही वाहन चालक अनुज्ञतियां, वाहन पंजीयन चल ही रहे हैं। भविष्य उज्जवल है। सभी जालसाज एजेंटों के अच्छे दिन आने वाले हैं।

वाणिज्यकर में जालसाजों और भ्रष्टाचारियों की फौज

समय सीमा, पंजीयन देने और बंद करने में मची है लूट

सू.अ. में जानकारी देने में वृत्तों से लेकर मुख्यालय तक सभी दिखाते है धूर्तता और बचाते है भ्रष्टाचारियों और जालसाजों को एंटी इवेजन को क्यों और कैसी छूट

मप्र वाणिज्यकर के इंदौर स्थित मुख्यालय में भ्रष्ट आयुक्त से लेकर वृत्तों में बैठे सहा. आयुक्त और वा.कर अधिकारी तक सारे हरामखोर, सूचना के अधिकार में अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जानकारी नहीं देना चाहते। यही कारण है कि यहां हर कदम चारों तरफ भ्रष्टों का जमावाड़ा है जिसमें प्रधान सचिव और मुख्य सचिव भी शामिल ही नहीं वरन् भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए ही इन जालसाजों ने अधिव.05 को लागू होने के बाद 3 वर्ष एंटी इवेजन को जानकारी न देने के लिए संशोधन का परिपत्र जारी कर दिया, जबकि उसमें संसोधन किया जाना न केवल गैरकानूनी वरन् पूरे अधि. 05 को ही मजाक बना दिया गया, सूचना के अधिकार अनुजाति जनजाति के अंतर्गत अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी, मा.शि.मं. के प्रमाण पत्रों की मांग पिछले 6 वर्षों से की जा रही है, अब जबकि उपायुक्त के.एन. मीना ही मुख्यालय का लोक सूचना अधिकारी है जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद ही बेमानी है, क्योंकि मीना का प्रमाण पत्र भी पूर्णतः फर्जी है।मीना मात्र विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के ही मप्र में वैध है। पूरे मप्र में बसे मीनाओं ने येन-केन प्रकरेण सिरोंज से ही बनवाकर प्रमाण पत्र दिए है, और भर्ती से लेकर पदोन्नतियों के सारे लाभ ले रहे हैं। जबकि उनसे वरिष्ठ अभी भी उनसे कनिष्ठ पदों पर रहकर पदोन्नतियों के इंतजार में ही सेवानिवृत्त हुए जा रहे है।

मुख्य बात चल रही थी कि भ्रष्टाचार की तो एंटी इवेजन में बरसों और ट्रांसपोर्टरों से महीना वसूली का करोड़ों रु. प्रतिमाह का खेल जारी है, इसलिए महीना बांटने वाले बस और ट्रक मालिक धड़ल्ले से कर चोरी कर माल अपने गंतव्यों तक ला व ले जा रहे है। क्षेत्रीय स्तर पर उड़नदस्तों के लिए मुख्यालय के किए गए अनेकों प्रकार के प्रयोगों में भी सफलता नहीं मिली और उड़नदस्तों के अधिकारी उपायुक्तों से लेकर वा.क.अ. सहा. आयुक्तों, सहा. वा.क.अ. निरीक्षकों और कराधान सहायकों द्वारा दोनों हाथों से लूट जारी है। चुपचाप चवन्नी दो और रु. बचाओं और जाओ इंदौर के एबी दोनों की महिलाएं हर तरफ से मोटी कमाई में जुटी है, जिन्हें मुख्यालय का भी संरक्षण प्राप्त है, दोनों ही विंग जितनी उपलब्धियां गिनवाते है। उसकी दुगुनी गति से वसूली भी अवैध रूप से करते हैं। वर्तमान में 30 जून 2014 अंतिम तिथि घोषित की गई है। 12-13 के कर निर्धाण की जिसमें सभी सहा. आयुक्त, उपायुक्त मोटी चांदी काटने में जुटे है। बाकी वा.क.अ. स्तर के 90 प्रश प्रकरण स्वकरण निर्धारण के होने के कारण नीचे का स्टाफ भारी मायुसी से गुजर रहा है, जहां काम तो ढेर सारी बेगार और बदले में केवल पगार से लाग चलाना पढ़ रहा है।

दूसरी और ठेकेदारों, भवन निर्माताओं को वाणिज्यकर, पंजीयन अनिवार्यता से जो 3 नं. वृत में है, जहां 10-20 पंजीयन रोज नए होते हैं। पंजीयन में रु. 5 से 15000 तक की व्यवस्था रहती है, वैसे नए पंजीयनों को देने और पुराने कार्य पर व्यवसाय बंद होने, समय पर खाते व करों के रिटर्न न जमा करने में हर कहीं कमाई की व्यवस्था जिसमें भारी वसूली कर रहे हैं। दलालों की उचट के लगी है।

इंदौर नगर निगम, सफाई कर्मचारियों का कर रहा शोषण

दै.वे.भो. को 30 वर्ष बाद भी दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन

निगम में मची चारों तरफ लूट की पूरी छूट, दै.वे.भो. को पुरा वेतन भी नहीं

म.प्र. शासन ने दैनिक वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम रु. 6500/- का वेतन, उनकी सेवाकाल के अनुसार रु. 8500/- तक दे रहा है। दूसरी ओर जिलाधीश द्वारा दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर भी रु. 217/- प्रतिदिन और कुशल के लिये रु. 285/- प्र.दि. कर रखी हैं, जबकि रु. 4500/- मासिक पर हजारों सफाई कर्मचारियों जिसमें युवाओं से लेकर 50 वर्ष की उम्र से ज्यादा महिला-पुरुष कर्मचारी हैं। परन्तु उन्हें 20-30 वर्ष बाद भी नियमित नहीं किया जाकर उनकी भविष्य निधि का भी कटौत्रा नहीं किया जा रहा है, साथ ही इन कर्मचारियों जिनमें सीवर लाइन साफ करने सीवर पाइप होल्स में उतरने के कामों को करने जिन चेंबरों में मीथेन और सल्फ्यूरिक गैसेज सडांध के कारण बनने लगती हैं। ऐसे कर्मचारियों को तक न तो आक्सीजन मास्क, गम बूट, हैंड ग्लाब्ज तक नहीं दिये जाते हैं। जबकि हर सफाई कर्मचारियों को गम बूट, ग्लाब्ज और मास्क दिये जाने चाहिये, जबकि कानूनों में इनकी व्यवस्था है। बेशक इसकी खरीदी में करोड़ों रु. के घोटाले होंगे, सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी के अनुसार रु. 250/- की बरसाती रु. 800 में खरीदी गई, केवल बिल और व्हाउचर बने, पैसा हजम हो गया और बरसातियां किसी भी निगम कर्मचारी को अभी 2 वर्ष के बाद भी नहीं मिली।

नगर निगमों और पालिकाओं में कदम-कदम पर घोटालों और भ्रष्टाचार की भरमार है। एक तरफ सफाई कर्मचारियों को 10 से 30 वर्ष बाद भी न केवल नियमित नहीं किया जाता और जिलाधीश के अकुशल श्रमिक भुगतान की दैनिक दरों से भुगतान नहीं किया जाता वहीं दूसरी तरफ बिल बनाकर पैसा हजम करने के पार्षद, इंजीनियर और ठेकेदार बनी बनाई सड़कों पर डामरीकरण और सीमेंटीकरण करके आधी जमी हुई टाइल्स को उखाड़कर निगम के बगीचों में सीमेंट की कुर्सियां तोड़कर, पेड़ों को काट और बेचकर करोड़ों रु. हजम करते रहते हैं। सीमेंट की सड़कों में डामर के स्थान पर दूसरे स्तर ही न सल्युशन मिलाकर सड़क निर्माण करके पैसा हजम करते रहते हैं। यदि इनकी आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त से जांच करवाई जाये तो न केवल महापौर, निगमायुक्त, सारे इंजीनियर्स, ठेकेदार, सारे पार्षदों, बाबुओं को आसानी से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में जिंदगी जेल में गुजर जायेगी पर तू मेरी मत कह, मैं तेरी नहीं कहूंगा, निगमों-पालिकाओं में जहां छोटे कर्मचारियों का घोर शोषण और आवश्यक साधनों गणवेश, बरसातियां, सुरक्षा उपकरणों का पैसा हजम कर लिया जाता है, तो दूसरी तरफ सभी बड़ों जो शक्ति संपन्न है। चारों तरफ से धन बटोरने में लगे रहते हैं। यदि बारीकी से जांच की जाये, हर बिल में 50 से 70% तक कमीशन और लेन-देन होता हैं, चुनकर आये महापौर से पार्षदों और चुने गये कर्मचारियों, अधिकारियों तथा निगमायुक्त से लेकर बाबुओं तक सबकी हिस्सेदारी के बिना न केवल कार्य की स्वीकृति नहीं मिलती तो बिलों की बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिस्सा बंटने के बाद ही सभी प्रकार के भुगतान होते हैं। चाहे फिर वह वेतन भुगतान ही क्यों न हो, यही कारण हैं कि दैनिक वेतन भोगियों को मिलने वाला न्यूनतम रु. 6500/-के स्थान पर रु. 4500/- ही 2000 से ज्यादा सफाई, बगीचों व अन्य अनेकों कार्यों में लगे कर्मचारियों को दिया जा रहा है, स्वाभाविक है, न्यूनतम मजदूरी की दरों पर अवश्य ही कागजों में भुगतान किया जाता होगा, उसमें संबंधित पार्षद, बाबुओं से लेकर लेखाधिकारी, महापौर, निगमायुक्त का हिस्सा भी बंटता है, अब इतनी बड़ी दूध देने वाली, शासन के सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों आदेशों के बाद भी नियमित कैसे किया जा सकता है।

यदि इन दैनिक वेतन भोगियों जो कि न केवल इंदौर नगर निगम में 2000 से ज्यादा हैं। प्रदेश के विभिन्न शास. और स्व.शासी विभगों में पंचायतों में लगभग 1 लाख के आस-पास हैं। नियमित कर दिया जायेगा, तो ये 5 वर्ष के लिये चुनकर पार्षदों, महापौरों से लेकर सरपंचों तक चुने गये नौकरी करने वाले बाबुओं से लेकर नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों के सचिवों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, निगमायुक्तों, विभिन्न शास. विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तक को मिलने वाला अतिरिक्त भ्रष्टाचार से कमाई कैसे होगी, दूसरी ओर इनके बंगलों पर मुफ्त के मजदूरों की फौज कैसे घरेलू काम करेगी, तीसरी ओर अकेले इंदौर के नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची में अभी भी सैकड़ों फर्जी कर्मचारियों को जो वेतन भुगतान किया जा रहा है, यही हाल प्रदेश की हर निगम पालिका और परिषदों का हैं, जो कुल मिलाकर करोड़ों रु. प्रतिमाह में हो रहा है वह खेल भी बंद करना पड़ेगा।

म.प्र. की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार दूर करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के बड़े-बड़े लंबे-चौड़े वादे करने के दम पर ही तो तीसरी बार सरकार बना पाई है, फिर चुने हुये और चुनकर सत्ता में आये सभी का जन्म भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार के लिये ही हुआ हैं, तो उसे कैसे समाप्त किया जाना संभव ही नहीं हैं, जहां तक दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण का सवाल हैं, तो वो वादा ही क्या जो पूरा हो जाये, यदि पूरा हो गया तो तो फिर अगले चुनाव के लिये क्या बचेगा।

साप्ताहिक समय माया

पूरी चुनावी प्रक्रिया जालसाजी पूर्ण -चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी सबने की जालसाजी

निर्दलियों के 90% वोट, भाजपा में जोड़कर जिताया

60% ज्यादा पार्टियों और निर्दलियों की जालसाजीपूर्ण तरीके से करवाई जमानते जब्त

14 मई 2014 को दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी शरद क्षेत्रीय ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी गणन अभिकर्ता शासकीय गणन कार्य की गोपनीयता भंग नहीं करेगा। इसमें यह स्पष्ट संदेश दिया गया था, कि हम शास. अधिकारी कर्मचारी सर्वोपरि है हम सच को झूठ, झूठ को सच कहेंगे, आपको चुपचाप स्वीकार करना ही है।

शासन में बैठा हर अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अर्थात जिलाधीश सीईओ जिला पंचायत आशीष सिंह निहायत बदतमीज, एसडीएम शरद क्षेत्रिय महाभ्रष्ट जालसाज, उनका खास चेला महाजालसाज और भ्रष्ट पालीवाल व उनकी फौज ने कदम-कदम पर इस चुनाव में जालसाजियां ही की। चुनाव में खर्च के लिए आवंटित धन का 50 प्रश से ज्यादा ये हरामखोर डकार गए, चाय, पानी,नास्ते आदि का कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को सौंप दिया गया था। फर्जी बिलों से किए गए भुगतान का अधिकांश पैसा डकार लिया गया। स्कूलों व कालेजों की जो बसों का चुनाव कार्य में उपयोग किया गया, उसमें डीजल भर का पैसा दिया गया। उसका किराया ड्रायवर, कंडक्टर का सारा पैसा डकार लिया गया। उन्हें भोजन तक की व्यवस्था स्वयं जेब से करना पड़ी, अर्थात 2208 इंदौर लोकसभा और महू तहसील के 300 पोलिंग बूथ, कुल 2500 गाड़ियों का 23,24,25 शहर का दो दिन का और बाहर का तीन दिन का रु. 10000/- का रु. 2.50 करोड़ का किराया, रु. 500 का तीन दिन का ड्रायवर कंडक्टर के भोजन का रु. 7.50 लाख सीधा हजम, भोजन की व्यवस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी में कही से भी करो कैसे भी करो, नास्ता, चाय, खाद्य एवं औषधि को, टीवी सेट्स, मानिटरिंग, कैमरे, कम्प्यूटर्स आदि का जिम्मा वाणिज्यकर विभाग के पीटी अर्थात वृत्तिकर के जिम्मे जिसका रु. 5 लाख का बिल हजम, जबकि गणन कार्य में लगे 120 टेबल, एक टेबल पर कर्मचारी, एक अधिकारी अर्थात 7200 कर्मचारियों को गणन के दिन चाय, नास्ते और भोजन के पैकेट भाजपा और कांग्रेस ने बांटे, कुछ कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि चाय, नास्ता और भोजन जिसने करवाया उसकी ही सब गायेंगे, बजायेंगे। इसके पूर्व 23 अप्रैल को सुबह 5 बजे से कर्मचारी अधिकारियों को चुनावी टीम नेहरू स्टेडियम, चुनावी सामग्री लेने पहुंच गई थी, उस दिन की सुबह की चाय, नास्ता और 24 अप्रैल के चुनावी दिन का सुबह दिन का दो दिन का सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक चाय का नास्ता और भोजन के प्रबंध की जिम्मेदारी, खर्च और व्यवस्था हरा कर्मचारी, अधिकारी की स्वयं की जवाबदारी पर, अर्थात 2500 चुनाव केन्द्रों पर औसतन 10 कर्मचारी, 10 पुलिस वाले 200 व्यक्तियों के दो वक्त का भोजन रु. 50 के हिसाब से रु. 1000 का भोजन रु. 300 कीह तीन बार की चाय और रु. 400 का नास्ता अर्थात रु. 50 लाख भी हजम कर लिए। चाय, नास्ते भोजन की व्यवस्था भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। स्वाभाविक है कि वोट भी उन्हीं के लिए डलवायेंगे, ये है निष्पक्ष चुनाव की छोटी सी झलक।

अब गणना की जालसाजियों को देखें इंदौर की 26वीं लोकसभा की मतगणना व्यवस्था में 8 विधानसभा क्षेत्र में 15 टेबिले हर विधान सभा के हिसाब से 120 टेबलों पर मतगणना की गई। 16 मई2014 को, जैसा कि डाक मत पत्रों के गिनती कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी और उनके सहयोगी बैठे थे वहीं नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। 14 मई की मतगणना प्रशिक्षण में बताया गया था कि हर मशीन की वीडियोग्राफी होगी, हर मशीन से हर प्रत्याशी को प्राप्त मतों का प्रिंट आउट मिलेगा। हर विधानसभा में कैमरे घूमतें रहेंगे जो कि कोरी बकवास सिद्ध हुआ, न हर मशीन की वीडियोग्राफी हुई, न प्रिंटआउट अभी तक मिले और न कैमरे घूमे। चुनाव आयोग की हो सकता है कि ये व्यवस्थाएं रही हैं। जिनका धन भी आया हो, जो स्वाभाविक है सारा धन हजम कर लिया गया। पोलिंग बूथ के अनुसार मतगणना पत्र क्र. की मांग निर्वाचन अधिकारी श्रोत्रिय से की गई, शाब्दिक आश्वासन अभी तक पूरे नहीं हुए, शायद बिना उच्च न्यायालय के आदेश के बिना पूरे भी नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जालसाजियां ही यहां की जाकर पूर्णतः मनमानी से परिणाम घोषित किए गए।

16 अप्रैल 2014 को श्री अजमेरा को निर्वाचन कार्यालय से फोन आया कि सारी इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन सील कर नेहरू स्टेडियम ले जाई जा रही है। आप देखने आ जाये तो उनका जवाब था कि भाई मैंने 2×4 का एक मोबाइल 3 वर्ष पहले बड़े जुगाड़ से पैसे इकट्ठे कर रु. 10000 में खरीदा था तब से उसे सीने से लगाए घूमता रहता हूं, उसमें क्या-क्या कार्यक्रम भरे पड़े है उसे मैं अभी तक नहीं समझ और जान पाया, तुम्हारी डेढ़ फुट बाई 8'' की मशीन में क्या-क्या फिट कर रखा है, मुझ जैसे गधे को क्या समझ आयेगा, उसमें जीएसएम, डब्ल्यूएलएल, वाई-फाई, ब्लू टूथ, सेटेलाइट, रिमोट है, क्या समझ में आयेगा, न तो हार्डवेयर इंजीनियर, न कम्प्यूटर विशेषज्ञ कुछ भी नहीं हूं, जैसा और जो आपको करना है आपके साहब लोग पहले ही कर चुके है। अब तुम्हें और तुम्हारे साहब को मशीन सील जो करना है, कर लेवें, मेरे आने का कोई औचित्य नहीं है।

अब गणन प्रक्रिया में की गई जालसाजिया देखियें, जहां डाकमत पत्रों की गिनती शुरू की गई, घोषणा की गई की डाकमत पत्रों की गिनती के बाद विधानसभानुसार मतगणना कक्षों में गिनती शुरू होगी, साढ़े आठ बजे सारे लिफाफे निकाल कर जमाये गये, फिर लिफाफे फाड़ने का क्रम शुरू हुआ, चार टेबिलों पर, जो 12 बजे तक चला, इस बीच 9 बजे मतगणना कक्षों को निर्देश दिए जाकर मशीनें खोलना शुरू कर दी गई थी। जो कंट्रोल पेनल को लाकर मतगणना एजेंट को लाकर सील दिखाते थे, सील की संतुष्टि के बाद सील तोड़ी जाती थी, बेट्री चलित मशीन का स्विच चालू कर कुल मतदाता, प्रत्याशियों की संख्या दिखाकर फिर हर प्रत्याशी को क्रम संख्या से कितने वोट मिले, जाली के बाहर बैठे प्रत्याशियों के गणन प्रतिनिधि अपने प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या लिख एक मशीन को खोलने से लेकर बंद करने और वापस रखने तक में 20 मिनट अर्थात 14 चक्र में 4 घंटे 20 मिनट और जहां 24 राउंड मशीनें खोली गई वहां 480 मिनट अर्थात 8 घंटे लगने चाहिए थे, अब यदि 9 बजे से मशीनों को खोलना शुरू किया गया तो 9+8 (17) या 5 बजे जाने चाहिए था, जबकि 4 बजे ही सारे परिणाम घोषित कर दिए गए, दूसरी और 15 टेबल×23 प्रत्याशी (22 प्रत्याशी+1नोटा) अर्थात 345 प्रविष्टियों की विधानसभानुसार कम्प्यूटर पर एकीकृत हर चक्र की 23 प्रत्याशियों को कुल कितने वोट मिले, यदि 345 प्रविष्टियों में 10 सेकंड में एक प्रविष्टि हुइ तो 3450 सेकंड अर्थात 57.5 मिनट को न्यूनतम 40 मिनिट भी दें तो 14 चक्रों में 560 मिनट अर्थात 9 घंटे 20 मिनट और अधिकतम 24 चक्रगणन की एकीकृत सूची तैयार करने में 960 मिनट अर्थात 16 घंटे लगने चाहिए फिर 8 विधानसभाओं की एकीकृत 23 प्रत्याशियों की सीट तैयार करने में भी आधा घंटा चाहिए था, जबकि इसी बीच गणन कर्मियों ने नास्ता भी किया चाय भी पी और 1 बजे के बाद भोजन भी किया, अर्थात हर चक्र की गिनती की 8 विधान सभाओं और 23 प्रत्याशियों की सूची बनाने में न्यूनतम आधा घंटा लग रहा था तो 24 चक्र की गिनती 4 बजे कैसे घोषित हो गई, जबकि ईमानदारी से उसे रात 10 बजे पूरा होना था। ये हाल इंदौर का था, तो बनारस में 77 प्रत्याशी और 1 नोटा, 12 टेबल, 20 चक्र पूरा होने में तो कम से कम 24 घंटे चाहिए थे, थे सरकारी कर्मचारी जो कम्प्यूटर पर विधानसभानुसार हर चक्र की 23 प्रत्याशियों को मिले कुल मतों की सूची तैयार कर रहे थे तो बताते हैं कि हम पहला चक्र भी पूरा नहीं कर पाये थे, वहां तीसरा चक्र घोषित किया जा रहा था। यही हाल जब तीसरे चक्र को पूरा करने की तैयारी चल रही थी तब सारी विधानसभाओं के सातवें चक्र की 1 बजे के लगभग घोषणा की जा रही थी, जबकि डाकमत पत्र कक्ष में सभी मतपत्रों को जमाकर वैधानिक और रद्द किए गए मतपत्रों की छंटाई का कार्य शुरू हुआ ही था, जब कम्प्यूटर आपरेटरों जो सभी कक्षों में टेबिलों और प्रत्याशियों की सीट एकीकृत कर बना रहे थे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वहां तो मनमर्जी से कभी नि.अ. क्षेत्रिय तो कभी मु.का.अ. धड़ाधड़ घोषणा करते जा रहे हैं। तो अनेकों अलग-अलग विभागों से आए कम्प्यूटर आपरेटर्स भी यहां वहां घूमने लगे।

जहां तक प्रत्याशियों के जो गणक अभिकर्ता बैठाये गये थे कुछ को छोड़कर कोई भी गंभीरता से कार्य संपन्न नहीं कर रहा था। अधिकांश का ध्यान चाय, नास्ते और गप्पों में लगा हुआ था। केवल भाजपा, कांग्रेस और आप के गणन अभिकर्ता ही पर्याप्त मात्रा में थे। निर्दलियों वालों को डर था कि 128 गणन अभिकर्ता को बैठाना अर्थात रु. 1 लाखे 28 हजार मेहनताना और भोजन, पानी से ही रु. 40 से 50 हजार और खर्च करने पड़ेंगे पहले आवक दिखाओं फिर सबके खर्च पत्रक की पक्की रसीद लगाओ, इसलिए भी गणन अभिकर्ता नहीं बैठाये थे, जबकि लोकसभा में हर प्रत्याशी को 5-7 हजार वोट मिल जाना बहुत मामूली बात होती है, यही कारण था कि हर कदम-कदम पर जालसाजी से अधिकांश वोट भाजपा के खाते में डाले गए।यदि पुनः सार्वजनिक रूप से मशीनें खोलकर पूरी वीडियोग्राफी करवाकर वोट गिने जाए तरीके से हर विधानसभानुसार सीटें तैयार की जाकर पुनः 8 विधानसभा की हर चक्र की सीटें तैयारी की जाये तो सारा माजरा उल्टा होकर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, जहां तक उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का सवाल है, तो फिर लाख रु. का खर्च उठाना पड़ जाएगा।

पूरे राष्ट्र की इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों और स्वयं कांग्रेस ने ही मैदान छोड़ने का मन बनाकर जालसाजी की पूरी छूट दी, क्योंकि कांग्रेसीयों ने भी दूसरी बार 2009 में सत्ता ऐसे ही हथियाई थी, सारी ईवीएम मशीनों का नियंत्रण जिलाधीश के पास होता है। तभी तो आसानी से बता दिया जाता है कि कौन सी मशीन कहां खरब हो गई, एक जिलाधीश को चुपचाप इसलिए तो निलंबित कर दिया गया था कि वह सारे वोट भाजपा के ही खाते में डलवा रहा था, ये सारी रिपोर्ट एक कम्प्यूटर हेकर ने ही बताई थी, फिर यदि इसे झूठ मान भी लिया जाए तो मतगणना के तौर तरीकों से तो स्पष्ट है कि मशीने तो एक तरफ ही रखी रह गई और मतगणना कैसे की गई, सारी मतगणना केन्द्रों की सूची के एकत्रित संग्रहित समंक तैयार हो ही नहीं पाते थे और उसके तीन से चक्र आगे की घोषणा कर दी जाती थी, फिर जब प्रत्याशियों को आश्वासन दिया गया था कि हर पोलिंग बूथ की मशीन से प्रिंट आउट निकालकर दिया जाएगा तो कई बार मांगने पर क्यों नहीं दिया जा रहा है, फिर दिल्ली और केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षकों को रु. 50 हजार से ज्यादा के दर्जनभर मोबाइल भेंट में दिए गए, साथ में मोटे लिफाफे भी, ताकि कोई कुछ भी न बोले, न किसी भी जालसाजी पूर्ण कृत्यों पर अंगुली उठाये, क्यो प्रेस और समाचार श्रृंखला केमरामेनों का गणन कक्षों तक जाने की छूट नहीं दी गई। सारा षड़यंत्र पूर्व नियोजित तरीके से खेला गया।

जिसमें पोलिंग बूथ से प्राप्त मूल मतदान के आधार पर पहले से ही पूरी तैयारी थी। बाकी गिनती की नौटंकी केवल प्रत्याशियों को बेवकूफ बनाने के लिए की थी। कुल मतगणना के प्राप्त मतों की पूर्व नियोजित षडयंत्रों के तहत ही मतों की घोषणा करना थी। मशीनें खुले न खुले सीटें कम्पाइन हुई नहीं हुई और धड़ाधड़ परिणाम पूरे भारत में इसी षडयंत्र के तहत भाजपा को जीताकर सत्ता पर पहुंचाया।

राज्यों की भ्रष्ट पुलिस पर हो केंद्रीय नियंत्रण

पेज 1 का शेष

शाम ढलते ही उसके सुरा-सुंदरी का शौक पूरा करते हैं। तो उन्हें तो बचाना उनकी वर्दी का परम धर्म हैं। स्वाभाविक है, जब वर्दी वाले साहब के हर शाम पूरा करेंगे वो जुड़े अपराधियों को आतंकित कर ही धन वसूली करना पड़ेगी, इंदौर के ही चंदन नगर, आजाद नगर, भागीरथपुरा जैसे अनेकों अपराधियों से भरे क्षेत्र में एक ही जगह चौकियों पर वर्षों से जमे रहते हैं। जबकि हर चौकी पर पदस्थ हर प्रभारी को साल दो साल में बदल दिया जाना चाहिये, हेड कांस्टेबल को तीन से 4 वर्ष में थाना प्रभारी को भी साल-दो साल में बदल दिया जाना चाहिये परन्तु जब महीना मंत्रीजी तक पहुंचता हो पाइप लाइन से तो फिर गुलाम जनता की कौन सुनेगा।

मुख्यमंत्री भले ही समाधान ऑनलाइन की बात करें जो केवल बकवास से ज्यादा कुछ नहीं, समाधान ऑनलाइन में भी पुलिस का कोई कालम नहीं है, 900993322 में जो सार्वजनिक नं. दिया गया है, उसमें भी ठेके पर बैठाया गया स्टाफ, फरियादी से मूल बात सुनने की अपेक्षा ढेर सारी पूछताछ में उलझाकर मूल तथ्य और अपराध को ही दबाने की कोशिश करता है, ये हैं हकीकत, फिर मुख्यमंत्री शिवराज भी निहायत ढीला, अपराधियों, भ्रष्टों को संरक्षण देकर मंत्रिमंडल में बैठाये हो, तो दूसरों की बात करना ही बेमानी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2006 में एक फैसले में कहा था कि राज्यों की पुलिस के भ्रष्टाचार, मनमानी और अपराधियों को संरक्षण देकर पालने, अपराधों को बढ़ाने, यहां तक कि लगातार न केवल जनता, समाज वरन् राष्ट्र के साथ द्रोह करने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वालों तक को ये खुले में संरक्षण देते हैं। इस पर नियंत्रण के लिये राज्यों को अधिकरण बनाना चाहिये, जो पुलिस वालों, निरीक्षकों, अधिकारियों, थानों के विरुद्ध शिकायतें सुनें और त्वरित निराकरण कर, कानून की व्यवस्था के प्रति विश्वास जनता में बनाकर रखें, परन्तु राज्यों के सत्ताधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी तक स्थापना नहीं की, क्योंकि न केवल वो स्वयं वरन् उनकी ही पार्टी के सैकड़ों अधिकांश कार्यकर्ता भी इन सबमें लिप्त हैं। कौन सा सत्ताधीश नेता, अधिकारी चाहेगा कि उसके भ्रष्टाचारों और जालसाजियों, अपराधों के विरुद्ध कोई शिकायत हो, प्रकरण बने और कानूनी कार्यवाही हो, राज्यों की पुलिस और उनके अधिकारियों की तो बागडोर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उनके मंत्री परिषद में बैठे गिरोह के सदस्यों के हाथ में रहती हैं, ये वही सब मंत्री होते हैं, जो पूर्व में क्षेत्र के बड़े गुंडे, डॉन माफिया हुआ करते थे, जिनके पीछे पुलिस भागा करती थी, पकड़ने के लिये, अब वही पुलिस उनके सामने सलामी ठोंकती हैं, और अपनी पदोन्नति, पदस्थापना, स्थानांतरण के लिये गुहार लगाती खड़ी रहती हैं, अब कैसे खत्म हो पुलिस-अपराधियों, भूमाफियाओं, ड्रग तस्करों, अवैध वसूली वालों का याराना। उल्टे ही वे इन्हीं आपराधिक सत्ताधीशों के इशारे निरीह जनता और निरपराधियों को ही नेताओं के इशारे पर परेशान करती हो, स्वाभाविक है ऐसे राज्य पुलिस की निगरानी, नियंत्रण आदेश देने में सक्षम राज्य नियंत्रक कोई भी अधिकारी और कार्यालय सक्षम नहीं होगा। इसके लिये आवश्यक है कि केन्द्र सरकार ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरे देश के हर जिले और तहसील में न केवल पुलिस वरन केन्द्र की बैंकिग, डाकतार, दूरसंचार व्यवस्थाओं वरन् हर राज्य की शिक्षा, कृषि, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि हर विभाग पर निगरानी नियंत्रण व निर्देश देने का कार्य कर सकें, जिससे राज्यों, केन्द्र के धन का दुरुपयोग निश्चित किया जाकर तत्काल जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।

बीआरटीएस पर मौतों के लिए जिलाधीश, इंविप्रा और पुलिस जिम्मेदार

सा.सड़कों पर किसी को रोकना मौलिक अधिकारों का हनन
रु. 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च में रु. 400 करोड़ से ज्यादा हजम, जनता को कर रहे परेशान

इंदौर की बीआरटीएस सड़क यथार्थ में राष्ट्र का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 है जिस पर जेएनआरयुएम का पिछले 8 वर्षों में अपनी भ्रष्टाचार से कमाई के लिए लगभग रु. 1000 करोड़ से ज्यादा बर्बाद किया जा चुका है। जिसमें जिलाधीश विवेक अग्रवाल, राकेश श्रीवास्तव और अब आकाश त्रिपाठी के साथ इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों, मुख्य का. अधिकारियों, इंजीनियरों तक सबने खूब धन बटोरा जो लगभग रु. 400 करोड़ से ज्यादा है। चूंकि इस योजना का धन खर्च करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए था। इसलिए ही मात्र इसकी योजना बनाई गई जो शुरू से ही न केवल विवादास्पद रही वरन् इसके सन् 2006 में अभ्झी तक मात्र 11 किमी सड़क पर सैकड़ों लोगों की जान जाने के बाद भी मात्र इन हरामखोर जालसाजों को अपने कुकर्मों का सही ठहराने के लिए उस पर वाहन चालकों के लिए ऐसे अनेकों नियमों को थोपा जा रहा है, जो सीधे ही उनके रोजगार की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सड़कों के सार्वजनिक उपयोग को रोकता है, चूंकि बीआरटीएस पूरी तरह से असफल रहा है और अपनी असफलताओं और भ्रष्टाचारों को दबाने-छिपाने के लिए मैजिक वालों को रोका जाता है, तो कभी नगर सेवावालों को, जबकि उन्होंने पेट्रोल-डीजल पर राज्य और केन्द्र सरकार को कर चुकाया है उसी कर धन से ही सड़कों का निर्माण किया गया है, फिर सड़के राष्ट्र की जनता की है, किसी के बाप की जागीर नहीं जो जब मन में आया किसी को भी उसके रोजगार में बाधा बन रोकने का आदेश जारी कर दिया जाए। जहां तक यातायात बिगड़ने, जाम लगने, दूर्घटनाएं होने का सवाल है, उसके लिए अभी भी पूर्ण रूप से पुलिस, जिलाधीश, इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगमायुक्त और इंजीनियर ही जिम्मेदार है। जो अभी भी वसूली के लिए जानबूझकर यातायात के संकेतकों का न केवल ढंग से विवेकीकरण नहीं कर पाए। एलआइजी चौराहे पर बीआरटीएस के दोनों तरफ 40 से 60 सेकंड्स दिए है, तो अनूप नगर से पाटनीपुरा और पाटनीपुरा से अनूप नगर जाने वालों के लिए मात्र 10 से 20 सेकंड, यही हाल गीताभवन और जीपीओ चौराहे के भी है। ये हाल बीआरटीएस पर अनेकों चौराहों, तिराहों पर है, जिससे दूर्घटनाएं होती है। यह सब जानते है कि ये जालियां आज नहीं तो कल हटानी ही पड़ेगी, फिर हर चौराहे पर कम से कम 5 पुलिस वाले चाहिए। चारों तरफ के वाहन चालकों को संभाले और 5 वां बीच में खड़ा होकर यातायाता संभाले। इसके विपरीत यदि 5-6 जवान कहीं खड़े कर भी दिए जाते है तो वो सब एक कोने में खड़े हो जाते है। जब वो बातों में व्यस्त रहेंगे तो यातायात बिगड़ेगा और दूर्घटनाएं होगी। बीआरटीएस में होने वाली दूर्घटना और मौत में जिलाधीश, इं. वि.प्रा. पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार, जालसाजियों भी करेंगे और नोटिस भी भेजेंगे

लूट सके तो लूट किसानों को लूटने की पूरी छूट

भ्रष्टों, जालसाजी, आय से अधिक संपत्ति वालों पर न्यायालयों में चलाये मुकदमें

भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में 66 वर्ष की आजादी के बाद भी कृषकों की ऋण में जन्मा, ऋण में जिया और ऋण में मरा वाली स्थिति में मात्र भ्रष्टाचार के कारण ही मुक्त नहीं हो पाया। बेशक सरकारों ने लाखों करोड़ कृषि की अर्थव्यवस्था सुधारने पर खर्च किया, परंतु मंत्रालयों से धन किसानों तक पहुंचने के पहले कृषि मंत्रियों से लेकर गांव स्तर पर बैठे कृषि विस्तार अधिकारी तक 50 से 70 प्रश तक डकार गई और डकार रही है, जिसे सरकार में बैठे जिम्मेदार तब सब अच्छी तरह जानते है। मंत्रालयों और संचानालयों में ही किसानों और कृषि विकास का 25 से 40 प्रश तक धन डकारने के षड़यंत्रकारी भ्रष्टों और शूकर अधिकारियों और दलालों तक का कब्जा है, जैसा कि समयमाया पूर्व में प्रकाशित कर चुका है।

अप्रेल-14 के समाचार के प्रकाशन पर मप्र के कृषि मंत्रालय में बैठे इन भ्रष्ट गिद्धों, ए.एन. परमार और त्यागी ने दो मानहानी के नोटिस पहुंचाए थे, जबकि श्री अजमेरा सूचना के अधिकार के आवेदन में स्पष्ट लिख देते है कि चाही गई जानकारी निर्दिष्ट समय में न मिलने पर अपने स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी छापने, बांटने, इंटरनेट साइटों पर डाल कर पूरी दुनिया को भेजने के लिए हम स्वतंत्र है। जिस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही न ही की जा सकेगी इसके विपरीत नोटिस भेजे गए। जबकि परमार ने अपने ही कार्यालय में रहकर अपने विरूद्ध की गई शिकायतों की कापीयां सूचना के अधिकार में मांगी थी। जिसके 539 पेजों के उसने रु. 1078 जमा भी किए जबकि सूचना के अधिकार अधि. 05 की धारा 2 एन स्पष्ट करती है कि तृतीय पक्ष से तात्पर्य है कि जो नागरिक नहीं है जिसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल है। इसके विपरीत परमार को लोक प्राधिकारी होने के उपरांत भी जानकारी दी गई। जबकि संचालक डीएन शर्मा द्वारा जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी। जब सूचना के अधिकार में श्री अजमेरा ने जानकारी मांगी तो 3 मई की जानकारी का अभी तक पता नहीं है, 1 माह बाद अपील की गई उसका भी अभी तक पता नहीं है। कृषि विभाग के जालसाजों को मेहरबानी से ही स्तरहीन और अमानक बीजों से जो खरीफ की फसलों में, सोयाबीन, कपास, मक्का व अन्य के लगने है। बाजार भरा पड़ा है, वही हाल खाद कीटनाशकों का है, किसने लायसेंस जारी किए, हजार रु. की फीस पर रु. 35000 से 50000 लेकर कौन आंख भींचकर लायसेंस बांट रहा है। जिलों के उपसंचालकों से लेकर भोपाल के कृषि मंत्रालयों में बैठे अधिकारी मप्र कृषि विपणन संघ रोज अखबारों में नकली खाद, बीज, कीटनाशकों के बारे में छापने के बाद भी धड़ाधड़ लायसेंस जारी होते है। क्योंकि सबको हिस्सा मिलता है, दूसरी और जिस परमार और त्यागी का नोटिस भेजा है, दोनों के पास आम आय से 50 गुना से ज्यादा संपत्तिया जिसमें मकान और कृषि भूमि कहां से आए। अभी कुछ महीनों पहले केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से आया अनुदान 32 से ज्यादा उपसंचालकों ने वह धन डकार लिया तो प्रधान सचिव ने इस संबंध में संचालक शर्मा को नोटिस थमाया। उन्होंने 32 उपसंचालकों को नोटिस थमा दिया। मामला इतना गंभीर होने के बाद अधिकारी संघ के अध्यक्ष बने बैठे परमार ने इस पर उल्टे ही चोरी और सीनाजोरी और संचालक को चमकाने लगे, जबकि इनके विरूद्ध जनधन की अमानत में ख्यानत करने के आरोप में न केवल परमार पर वरन् उन 32 उपसंचालकों के विरूद्ध एफआईआर लिखवा कर मुकदमा चलाना चाहिए। वैसे तो हर उपसंचालक रु. 5 से 8 करोड़ न्यूनतम हर जिले की मिली राशि में से डकार जाता है, परंतु संचानालय में बैठे केन्द्र और प्रदेश की सरकारों से मिले कुलधन का 25 प्रश धन वहीं बैठकर डकार जाते है। अब चूंकि सभी बंदरबांट मे लगे है, इसलिए एक-दूसरे को बचाते है।

सरकारी नौकरी में रहकर जिंदगी भर भ्रष्टाचार किया

नौकरी करने वाले पेंशनरों की बंद करो पेंशन

सेवानिवृत्ति के बाद भी जालसाजों ने बर्बादी बंद नहीं की

सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति प्राप्त अधिकांश इंजीनियरों, डॉक्टरों आईएएस अधिकारियों, आईपीएस, आईएफएस जो अपनी सेवाकाल में तो घोर भ्रष्टाचार करते ही रहे पर सेवानिवृत्ति के बाद अपनी 35-40 वर्ष से पड़ी आदतों से ऐशो आराम की जिंदगी जीने की चाहत नहीं छोड़ पाये, जबकि उनके लिये शासन ने पर्याप्त जीवन यापन के लिये पेंशन की व्यवस्था कर दी है।

इसके विपरात उन्होंने या तो किसी फर्म में नौकरी कर ली या अपने एनजीओ खोल लिये या अपनी ठेकेदारी फर्म्स विकसित कर ली। सरकार जो पेंशन देती है उसकी यही शर्त होती हैं कि आपके पास यदि आय के स्त्रोत होगा तो वह पेंशन उस अनुपात में और पेंशन से ज्यादा आय होने पर पूरी पेंशन ही बंद की जा सकती है। इसके विपरीत महाभ्रष्ट पूर्व का लो.नि.वि. का अभियंता पूनमचंद अग्रवाल, संचेती, केसी जैन, जो कि मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त होकर पेंशन से दुगुना म.प्र. सड़क विकास निगम में सलाहकार के रुप में सेवायें देकर कमा रहे हैं। मु.अ. से सेवानिवृत्त के.सी. जैन, मा.रा.राज. मार्ग प्राधि. में सलाहकार की सेवायें दे रहे हैं। आखिर सब के सामने ये सेवानिवृत्ति के बाद भी सबके सामने अपनी सेवायें देते हुए अपने प्रभावों और वरिष्ठता का दुरुपयोग करते हुए अपनी फर्मों के वैध-अवैध भुगतानों के लिये विवश करते हैं। ये दोनों सेनिमु.अ. अग्रवाल और संचेती वैध एंड वैध के यहां बैठकर सेवायें देते हुए शासन के ही विभागों में अनेकों ठेकों के सलाहकार का कार्य करते हुए बर्बादी ज्यादा कर रहे हैं। ठेकेदारों की मनमानियों को पूरी छूट देते हैं। ऐसे ही एक प्रधान सचिव स्तर का बैनर्जी जो पर्यावरण मंत्रालय में था सेवानिवृत्ति के बाद इसने उसी रेमकी इन्वायरों व उसके अनेकों ठेकों में सहयोग देना शुरू किया और जो शासकीय सेवा में रहते हुए पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड की मिक गैस ठोस अवशिष्ट जो 2800 टन से ज्यादा है का विरोध कर रहा था, उस रेमकी एंवायरों में पद पाते ही उसे पीथमपुर में नष्ट करने के लिये अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिसमें रु. 200 करोड़ के लेन-देन में उसका हिस्सा हैं, आतुर हो सबसे अनापत्ति लाकर गैस के ठोस अपशिष्ट को यहीं नष्ट करायेगा, अब वह पूरा कार्य मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित हो रहा है। प्रदूषण मंडल को उससे अलग कर दिया गया है।

शासन को देखना चाहिए कि उसकी सेवाओं से सेवानिवृत्त ऐ.सेवा निवृत्तियां हटाये गये उसके पूर्व अधिकारी कहां-कहां सेवायें दे रहे हैं। वे चाहे सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एसएएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अगर सेवायें देकर कमाई करने में लगे हैं और बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं तो सरकारी खजाने से दी जा रही पेंशन तत्काल बंद कर उस पैसे का सदुपयोग अन्य बुजुर्गों के लिये जो धन और आश्रयहीन है उनके लिए किया जायें।

उज्जैन के श्रम निरीक्षक अधि., वि.अनु. देने वाले ए/एसडीएम क्यों बनाए गए

औ. स्वा.सु.वि. में निलंबन, आयुक्त ने बचाया श्रम विभाग

बड़नगर की कुतुबी फटाका फैक्ट्री में 18 मरे, 4 बाल श्रमिकों की मौत पर भी लीपापोती

उज्जैन के बड़नगर में कुतुबी फायर वर्क्स के बारूद में विस्फोट से 5 मई को 18 श्रमिक मारे गए जिनसमें 4 बाल श्रमिक भी थे। आनन-फानन में मप्र औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग उज्जैन की सहा. संचालक श्रीमती टैगोर को निलंबित कर दिया गया जो वहां की प्रभारी थी, फिर लेन-देन और लीपापोती के बाद उसे न केवल बहाल कर दिया गया वरन् इंदौर में विभाग की हायजीन प्रयोगशाला में पदस्थ कर दिया गया।

उज्जैन के प्रभारी उपसंचालक पसीने ने फेक्ट्री मालिक से मोटा लेन-देन कर रफा-दफा करने की तैयारी है, पूर्व के बड़नगर के प्रभारी नीमा की भी निलंबन की तैयारी चल रही है। इस मामले में ज्वलंत प्रश्न है कि पटाखा फैक्ट्रीयों को विस्फोटक रखने और उपयोग करने का लायसेंस ए/एसडीएम जारी करते हैं। जमीन नक्शें की जांच पटवारी करता है, वर्षों से चल रही इस फैक्ट्री में विस्फोटक रखने, उपयोग करनें के सबंध में यदि लायसेंस नहीं था, तो वहां की पुलिस और संबंधित एडीएम, एसडीएम को जानकारी के बाद भी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसमें कि मौते हो गई, इन्हें क्यों बचाया जा रहा था, जबकि जिम्मेदार ये भी थे, दूसरी और संबंधित श्रम निरीक्षक और अधिकारी भी जिम्मेदार थे, ये केवल महीना वसूली कर चुपचाप चल देते हैं। जबकि वहां 3 मरने वालों में 14-18 वर्ष के और एक 14 से भी कम का थ। मप्र का श्रम विभाग बड़े-बड़े दावें करता है, कि एक भी बाल श्रमिक नहीं है, तो ये फिर फैक्ट्री में 4 की मौत कैसे हो गई। क्या श्रमायुक्त और उनका विभाग जिम्मेदार नहीं थे, उनमें से किसी का भी निलंबन क्यों नहीं हुआ, चूंकि 18 की मौत हुई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो सबसे पहले श्रम निरीक्षक अधिकारी से सहा. संचालक, उपसंचालक को ही निलंबित करते कि कैसे बाल श्रमिक कार्य कर रहे थे। वैसे मप्र के राऊ, ग्वालियर की पटाखा फैक्ट्रियों में अभी भी सैकड़ों बच्चे और अव्यस्क कार्यरत है, चूंकि सबको महीना मिल रहा है, सब चुप है। जबकि भा. फैक्ट्री एक्ट 1948, 10 श्रमिक, मशीनों पर शक्ति चलित और 20 या 20 से अधिक श्रमिक बिना शक्ति चलित मशीनों या हाथ से ही काम करते हैं। उन पर लगता है,तो बड़नगर की कुतुबी फैक्ट्री में तो 19 ही श्रमिक बिना शक्ति चलित मशीनों के कार्यरत थे, तो सैद्धांतिक रूप से फैक्ट्री पर भा.कार. अधि. 1948 कैसे लगाया जा सकता है, फिर भी लगा ही दिया है तो खास जिम्मेदारों को क्यों बचाया गया? बेशक यहां ईमानदार वह है जिसे मौका नहीं मिला, फिर भी श्रमायुक्त अपने भ्रष्टों पर शिकंजा क्यों नहीं कसते। 99 प्रश निरीक्षक, श्रमाधिकारी चारों तरफ श्रमिकों का हर तरह से मालिकों द्वारा घोर शोषण करवाकर अपना महीना वसूलीकर चूप रखते हैं।

साप्ताहिक समय माया

मु.म. शिवराज पाल रहे भ्रष्टों और जालसाजों को अपनी वसूली के लिए

घोर भ्रष्ट इंगले को सदस्य अभियांत्रिकी में दे रहे उस विस्तार

ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी सागर की नहरें हजारों करोड़ खर्च करने के बाद वर्षों बाद भी इसकी जालसाजी पूर्ण गिद्ध नोंच के कारण अधूरी

मप्र की शिवराज सरकार की तीसरी पारी की शुरूआत हो चुकी है। जिससे भाजपा को यह विश्वास हो चुका है कि भ्रष्टाचार करों और जितना कर सको खूब करों बस हल्ला न मचे। जनता को मोदी की मीठी-मीठी बातें सुनाते रहो, उसे तात्कालिक लाभ देते रहे, जनता आप को हर पंचवर्षीय चुनाव समारोह में ताज पहनाती रहेगी।

झूठे वादे करो, लूटो जितना लूट सको। 24 घंटे अटल ज्योति का सपना दिखाओं, बिजली होने पर भी दूसरों को बेचों, परंतु गांवों में शहरों में भरपूर कटौती करों। बड़ी-बड़ी योजनाओं बनाओं, सैकड़ों हजारों करोड़ का कामन हो न हो, टेंडर जारी करो, स्चीकृत करो, ठेकेदारों को पूर्व में ही कार्य शुरूआत करने के नाम पर सैकड़ों करोड़ का अग्रिम कार्यशील पूंजी और मशीनरी का अग्रीम देने के नाम पर जीम लो जैसा कि नर्मदा घाटी विकास बनाम नर्मदा लूट घाटी विकास प्राधिकरण में सन् 2008 में सरकार का पहला कार्यकाल समाप्त होने से पहले आनन-फानन में रु. 2300 करोड़ के जो ठेके दिए गए थे, उसमें 75 प्रश अग्रिम के रूप में दिए गए रु. 315 करोड़ हजम कर लिए गए उस समय भी यही इंगले था, जो बड़वाह का कार्यपालन यंत्री था। दायीं तट नहर के ठेके का टर्न की प्रोजेक्ट में अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। बायीं तट नहर का द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चर्तुथ चरण में भी भारी जन धन उलझा होने के बाद भी जो कार्य नवम्बर 2008 में पूरा होना था अभी तक सोम बिल्डर्स ने रु. 176 करोड़ के स्थान पर लगभग रु. 250 करोड़ लागत हो गइ और कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस महाजालसाज इंग्ले ने ही सोम बिल्डर्स के साथ हस्ताक्षर किए थे परंतु मोटा कमीशन डाकर कर ठेकेदार करण सिंह जो सोम का कार्य देख रहा था, जिस जालसाज हरामखोर ने इंदिरा सागर की नहरों का कार्य भी 10 वर्षों के बाद भी पूरा नहीं किया, उसी को दिया गया उसी करण को ये ठेका भी जानबूझकर दे दिया गया, ताकि न कोई कामबंद हो और न कोई काम चालू रहे। विवादों में उलझाकर जानबूझकर निर्माण लागत बढ़ती रहे और ये इंग्ले जैसे शूकरों अन्य इंजीनियरों टेंटवाल आरघ, आकरे, उइके, देवड़ा, अजनारे, चौहान, तिवारी आदि सभी का एक ही उद्देश्य हैं, जैसे भी हो वसूली करों, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाओं और फायदा पाओ। स्वाभाविक जो इंग्ले भ्रष्ट का पूराना इतिहास चारों तरफ से भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हो, फिर सेवा निवृत्ति के बाद उसे पुनः सदस्य अभियांत्रिकीय बना कर बैठा दिया गया और पैसे के बदले उसे समय विस्तार आखिर शिवराज उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य किस आधार पर और क्यों दे रहे हैं। यदि वह रु. 15 करोड़ का भुगतान कर दूसरा समय विस्तार ले रहा है। वो आखिर धन कहां से लाकर दे रहा है, और क्यों? स्वाभाविक है, कम से कम रुपए 150 करोड़ नर्मदा गंभीर-क्षिप्रा लिंक परियोजना जो रु. 2143 करोड़ की है, से ही वसूलकर बांटेगा, जबकि इस पर पूर्व से ही लोकायुक्त की जांच लंबित है।

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज जिस नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट रहे थे, और जमाने को न्योता दे रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने निश्चित समय में कार्य पूरा कर लिया, पाठकों को बता दें जिस उज्जैनी से नर्मदा को क्षिप्रा में मिलाया गया है उसका पानी अभी भी देवास नहीं पहुंचा है। उज्जैन तो दूर की बात है। जिस नर्मदा के पानी को पहुंचने का त्रिवेणी पर नाटक किया गया वह पानी इंदौर से देवास जो पीने का पहुंचाया जा रहा था। उस पानी को मुख्यमंत्री इज्जत बचाने के लिए पहुंचाया गया। इस रु. 434 करोड़ के प्रोजेक्ट नीचे रु. 396 करोड़ में मेघा इंजि. हैदराबाद ने लिया था, परंतु विभागीय सूत्रों के अनुसार इस पर रु. 600 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। जबकि मात्र 5 क्यूमेक पानी 2000 है. जमीन के लिए ही पर्याप्त है तो वहां से 30 किमी दूर देवास और देवास से क्षिप्रा पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता बेशक ठेकेदार ने सबके मुंह के आकार का टुकड़ा भी डाला ही होगा। फिर इंग्ले ने अपने रिश्तेदारों की फर्मों को भी लाखों में न केवल 32नंबर संभाग से वरन् हर संभाग से जो निचली नर्मदा परियोजना इंदौर वरन् इंदिरा सागर नहरों के भी 15 संभागों से पिछले दो सालों में ही करोड़ों में मात्र फोटोकॉपी में ही भुगतान करवाए, जिसकी एक शिकायत सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई।

करोड़ की गंभीर नर्मदा लगभग रु. 25000 करोड़ में से रु. 5000 करोड़ तो आसानी से हजम किए जा सकेंगे, तो इंग्ले अगले विस्तार के लिए रु. 15 करोड़ का दांव तो आसानी से खेला जा सकता है। वैसे इंग्ले ओंकारेश्वर के चौथे चरण में नहर कार्य में सदभावना इंजि. को अन्य जिले के संयुक्त उप्रकम में दिया था, उस फर्म से मुख्य अभि. अजनारे को मौखिक स्वीकृति देकर मुख्य नहर, उपनहरों, वितरणी आदि के निर्माण के लिए रु. 250 करोड़ से ज्यादा के लोहे और मोटे प्लास्टिक के पाइप खरीदने के लिए कह दिया गया, जबकि खेतों में पाइप बिछाने का कार्य मात्र किसानों की रबी की फसल कटने के बाद मात्र मई महीने में ही हो पाता है। सालभर में उक्त फर्म ने पाइप खरीदकर धामनोद से कुक्षी तक बिछा दिए जब भुगतान की बात उठी तो ये बंदा इंगले साफ पलट गया कि किसने कहा था, पाइप खरीदों। जब यह बात उपाध्यक्ष को मालूम पड़ी तो सारा मामला मु. अभि. अधीक्षण यंत्री और 20 नंबर संभाग पर थोप दिया। बिल भुगतान के लिए बैंक गारंटी जो एक तिहाई के हिसाब से लगभग रु. 80 करोड़ बनती थी मांगी गई। ठेकेदार ने येन-केन प्रकरण बैंक गारंटी की व्यवस्था की तब कहीं जाकर भुगतान हुआ, जबकि उस रु. 80 करोड़ बैंक से वसूलने का निरर्थक प्रयास किया गया, बाद में किसी प्रकार उस फर्म से कुछ कार्य करवाकर लगभग रु. 20 करोड़ वसूले जा सके जबकि वह परि. रु. 450 करोड़ से ज्यादा की है, इस प्रकार ये शूकर जालबाजियां करके भ्रष्टाचार करता और करवाता है। शायद इसीलिए मु.मं. शिवराज को ये भ्रष्ट अत्याधिक पसंद है, तभी उसके भारी भ्रष्टाचार के कारनामों के बाद, अरबों रु. जनधन की बर्बादी के बाद भी किसानों की जमीनों लेने के बाद भी सिंचाई के लिए इंदिरा सागर नहर सन् 2000 में पूरी होनी थी। 2014 में भी पूरी नहीं होने के बाद भी भ्रष्ट इंग्ले को 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति फिर एक वर्ष समय बढ़ाने के बाद दूसरी बार भी समय विस्तार दिया जा रहा है, धन्य है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमार।

नर्मदा घाटी विकास विभाग के संभाग क्रमांक 32 बड़वाह जिला खरगोन में आर्थिक अनियमिताएं एवं गंभीर भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करने के विषयक

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का कार्य माननीय मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित होन के कारण न.वि.संभाग क्रमांक 32, बड़वाह में ताबड़तोड़ समय सीमा में कार्य किए जाने के कारण जल्दबाजी में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में उपयंत्री, सहायक यत्रा, कार्यपालन यंत्री ने पांचों उंगली में घी में, सर कढ़ाई में लेकर भ्रष्टाचार किया है। जिसकी निम्न बिंदुओं पर जांच आवश्यक है।

संभाग की निर्माण रोकड़ बही के व्हाउचर क्रमांक 2 से 6 दिनांक 17.10.2012, 49 से 59 दिनांक 17.10.2012 को रुपए 1,67085 व दिनांक 19.10.2012 को रुपए 1,58,828 का अनियमित भुगतान सर्च कम्प्यूटर भोपाल को किया गया है। सर्च कम्प्यूटर को 30.03.2013 को रुपए 2,83,948 एवं दिनांक 27.09.12 को रुपए 2,19,023 दिनांक 21.11.2012 को रुपए 93477 का अनियमित भुगतान किया गया।

बाहेती फोटोकॉपी इंदौर को 26.11.2012 को रुपए 64407 का भुगतान किया गया। नवीन डिजीटल प्रालि इंदौर को दिनांक 26.10.2012 को रुपए 1,74,611 व 30.03.2013 को रुपए 2,83,948 का अनियमित भुगतान किया गया है।

एवन डिजीटेक एवं एपी इंटरप्राइजेस इंदौर एवं वीपी प्रोफेशनल लेब इंदौर के अलग-अलग बिलों का एक ही मालिक को कैसे व किस कारण दिनांक 30.03.2013 को रुपए 5,61,516 का अनियमित भुगतान किया गया। संभाग क्रमांक 32 के उपयंत्री/सहायक यंत्री का कहना है कि यदि इंदौर के महाराष्ट्रीयन की फर्म है जिसे सदस्य अभियांत्रिकी श्री जयंत राजाराम इंग्ले का नजदीकी रिश्तेदार बताया गया है एवं उनका पुरा सरंक्षण इस फर्म को है। इस फर्म के नर्मदा घाटी विकास विभाग में जितने संभाग है, उन सभी संभाग में अनियमित भुगतानों का गहन सुक्ष्म एवं विस्तृत जांच आवश्यक है।

संभाग क्रमांक 32 की सभी मापपुस्तिका का सूक्ष्म निरीक्षण, गहन परीक्षण की आवश्यकता है किंतु माप पुस्तिका क्रमांक 514, 638,659,621,689,688,320,388,396 की सूक्ष्म विस्तृत गहन जांच की आवश्यकता है। इन भुगतानों को भंडार क्रय नियम के आदेशो/निर्देशों का सरेआम खुला उल्लंघन किया गया है, क्योंकि उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए क्रय आदेश को विखंडित किया गया है क्योंकि नियम विरूद्ध रुपए 5 हजार के छोटे देयक की अपेक्षा 15 हजार के देयकों को कार्यपालन यंत्री ने अपने स्तर से भुगतान किया है एवं इन कार्यों का प्राक्कलन भी स्वीकृत नहीं था। इसलिए इन भुगतानों को वर्क पर भारित किया गया है जिसकी जांच मुख्यालय के सदस्य (वित्त) प्रकोष्ठ के संयुक्त संचालक/उपसंचालक स्तर के अधिकारी से करवाई जाना चाहिए। उपरोक्त संबंधित सभी फर्मो को जिन्हें भुगतान किया गया है। संबंधित फर्म के कोटेशन में न्यूनतम दरें नहीं थी और न ही कोटेशन बुलाए गए थे और संबंधित फर्म को न सप्लाय आर्डर दिया गया न इतने कार्य के पूर्व वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति ली गई और संबंधित फर्म से देयक प्राप्त होने पर देयकों को कार्यालय में आवक नहीं किया गया और कम कार्यों का अधिक भुगतान हुआ है। उपरोक्त फर्मों के देयको के भुगतान के संबंध में कार्यालय के सेवा निवृत्त बड़े बाबु धोड़केजी का कहना था कि देयकों के भुगतान के पूर्व वाणिज्यिक कर, आयकर एवं सेवाकर कर कटोत्रा कार्यपालन यंत्री के दबाववश नहीं किया गया है। जो कि वाणिज्यिक कर, आयकर, सेवाकर का कटोत्रा न कर अतिरिक्त फायदा संबंधित फर्मों को पहुंचाकर शासन के राजकीय कोष को भयंकर क्षति पहुंचाई गई है।

उपरोक्त माप पुस्तिकाओं में दर्ज सभी देयकों के कार्यों के भुगतान का भौतिक सत्यापन तीन अधीक्षण यंत्री के उच्च स्तरीय जांच दल से करवाया जाना आवश्यक है एवं वाणिज्यिक कर/आयकर/सेवाकर का भुगतान की वसूली संबंधित फर्मों से की जाकर शासन के राजकीय कोष में जमा करवाई जाना चाहिए।

यह शिकायत वास्तविकता में लोकायुक्त को भी जानी चाहिए ताकि

इस भ्रष्ट इंग्ले की बाकी जिंदगी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में गुजरे, बेशक इस विभाग के मंत्री स्वयं शिवराज ही है। जिन्हें मोटा हिस्सा इंगले दे रहा है, इसलिए उसे 1 जुलाई से तीसीरा विस्तार दिया जाएगा। फाइल पूरी हो चुकी है। नपाविप्रा. की साइट पर जाने पर उसमें अभी 2010-11 के प्रशासकीय प्रतिवेदन 12-13 की सूचनाएं ही डाली गई है। दूसरी और ये जालसाज भी ये मानते हैं कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक का न तो पूरा कार्य हुआ है और न ही वह अधूरी परियोजना है, क्योंकि वेबसाइट पर इसका पूर्ण में या अपूर्ण में कहीं नाम नहीं है। इस साइट के अनुसार वर्तमान में दस बड़ी योजनाओं पर कार्य चालू है, जिसमें रु. 2,224-48 करोड़ की लागत अनुमानित है, फिर रु. 2143 करोड़ की गंभीर नर्मदा लगभग रु. 25000 करोड़ में से रु. 5000 करोड़ तो आसानी से हजम किए जा सकेंगे, तो इंग्ले अगले विस्तार के लिए रु. 15 करोड़ का दांव तो आसानी से खेला जा सकता है। वैसे इंग्ले ओंकारेश्वर के चौथे चरण में नहर कार्य में सदभावना इंजि. को अन्य जिले के संयुक्त उप्रकम में दिया था, उस फर्म से मुख्य अभि. अजनारे को मौखिक स्वीकृति देकर मुख्य नहर, उपनहरों, वितरणी आदि के निर्माण के लिए रु. 250 करोड़ से ज्यादा के लोहे और मोटे प्लास्टिक के पाइप खरीदने के लिए कह दिया गया, जबकि खेतों में पाइप बिछाने का कार्य मात्र किसानों की रबी की फसल कटने के बाद मात्र मई महीने में ही हो पाता है। सालभर में उक्त फर्म ने पाइप खरीदकर धामनोद से कुक्षी तक बिछा दिए जब भुगतान की बात उठी तो ये बंदा इंगले साफ पलट गया कि किसने कहा था, पाइप खरीदों। जब यह बात उपाध्यक्ष को मालूम पड़ी तो सारा मामला मु. अभि. अधीक्षण यंत्री और 20 नंबर संभाग पर थोप दिया। बिल भुगतान के लिए बैंक गारंटी जो एक तिहाई के हिसाब से लगभग रु. 80 करोड़ बनती थी मांगी गई। ठेकेदार ने येन-केन प्रकरण बैंक गारंटी की व्यवस्था की तब कहीं जाकर भुगतान हुआ, जबकि उस रु. 80 करोड़ बैंक से वसूलने का निरर्थक प्रयास किया गया, बाद में किसी प्रकार उस फर्म से कुछ कार्य करवाकर लगभग रु. 20 करोड़ वसूले जा सके जबकि वह परि. रु. 450 करोड़ से ज्यादा की है, इस प्रकार ये शूकर जालबाजियां करके भ्रष्टाचार करता और करवाता है। शायद इसीलिए मु.मं. शिवराज को ये भ्रष्ट अत्याधिक पसंद है, तभी उसके भारी भ्रष्टाचार के कारनामों के बाद, अरबों रु. जनधन की बर्बादी के बाद भी किसानों की जमीनों लेने के बाद भी सिंचाई के लिए इंदिरा सागर नहर सन् 2000 में पूरी होनी थी। 2014 में भी पूरी नहीं होने के बाद भी भ्रष्ट इंग्ले को 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति फिर एक वर्ष समय बढ़ाने के बाद दूसरी बार भी समय विस्तार दिया जा रहा है, धन्य है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमार।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भ्रष्टाचारियों के सरगना कहिए !

भोपाल। वर्ष 2003 में कांग्रेस के कुप्रशासन के विरूद्ध साध्वी उमा भारती ने एक मुहिम चलाकर उसका सूपड़ा साफ करके प्रदेश की जनता को एक नई उम्मीद बांधी थी। इस उम्मीद को भाजपा के कुछ खास रणनीतिकारों ने जनता की मंशा के विरूद्ध साध्वी का पहले प्रदेश निकारा फिर पार्टीनिकारा करा दिया। और उस रणनीतिकार मंडली ने चापलूस और भ्रष्ट मानसिकता के भाजपा नेता श्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का मुखिया बनवा दिया। मुखिया बनने के बाद प्रदेश में इन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंद्वी और विरोधी वे चाहे अपने दल के हों या विरोधी दल के सभी की राजनितिक शक्ति क्षीर्ण कर दी है। समूचे प्रदेश में एक भी गलत नीतियों का विरोध करने वाला प्रभावशाली नेता नहीं बचा है। जनता की मजबूरी है कि वह भाजपा को छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस के प्रशासनिक भय से अभी तक मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो पाई है। केन्द्रीय नेत्रत्व को प्रदेश की कड़वी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो दिल्ली में ही बैठकर राजनीति करना है और राज्यों से अपने-अपने निजी हितसंबन्ध साधके रखना है। नजीजतन प्रदेश की हालात यह हो गई है कि श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के लोक सेवक नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अतिलाभकारी और प्रदेश की जनता के कामों के लिए सरकारी दलाल बन गये है। वो एक ऐसा दलाल जो काम तो पैसा लेकर कराता है परन्तु काम या गुणवत्ता की उसकी कोई जवाबदारी नहीं होती है। इनकी राजनीति सिर्फ पेडमीडिया और भाजपा के ऐंजेन्डे पर ही चमक रहीं है। इनकी व्यक्तिगत पहचान या तो राजनीतिकचापलूस,झूठ बोलकर लोगों को उल्लू बनाने वाले या चन्द सालों में सड़क छाप से करोड़पति बनने वालों में होती है। मीडियामैनेज करने का अड्डा जिसके शिवराज सिंह चौहान स्वयं चेयरमैन है वह विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा ही नही कुछ खास अय्यासों का टर्निंगं पोइँट के रूप में पहचाने जाने वाला मध्यप्रदेश माध्यम है। यहॉ बैठ कर सभी प्रकार की प्रबन्ध संचालक और संचालक के सानिध्य में कूटरचनाऐं तैयार होती है। इसके लिए मध्यप्रदेश के सभी कार्पोरेशन और कुछ विभाग धन मुहैया कराते है। यह संस्थान न कोई सरकारी है न कंपनी और न ही इसका कोई जनता के कामों से और जरूरतों से कोई सीधा सरोकार है। इस संस्थान का महत्व केवल इस लिए है कि इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री है और पेडमीडिया घरानों को मैनेज यहीं पर बिठा कर किया जाता है। इसके प्रबंध संचालक अधिकारी कम भ्रष्टाचारी चापलूस मीडिया के दलाल ज्यादा पहचाने जाते है। पूरे प्रदेश में डाक्टरों,शिक्षकों,पुलिस कर्मियों,जेल कर्मियों,कृषि विभाग की भर्ती आदि के अनेंको विभागवार भर्ती घोटाले जो उजागर हो रहे है इससें प्रदेश के प्रष्ठिावान अधिकारियों,कर्मचारियों को फर्जीडिग्रीधारी लोकसेवक के रूप में शंका रूवरूप पूरा देश देख रहा है। लोग व्यंग भी करते है कि प्रदेश का नाम मुन्नाभाईयों के नाम पर नामकरण कर देना चाहिए। समूचे भारत देश में मध्यप्रदेश की छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। म.प्र.देश का पहला राज्य है जहॉ चिकित्सकीय कार्य को जनसेवाकार्य नहीं व्यवसाय/उद्योग की श्रेणी में कानून बनाकर किया गया है। यह सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को लाभ पहुॅचाने की नीयत से किया गया कार्य है। कांग्रेस के नेता और कॉमन वेल्थ गेम के पूर्व चेयरमैन श्रीसुरेश कलमाडी के पूर्व सचिव बिहार राज्य के मूल निवासी श्री प्रवीणकृष्ण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग ,और झारखण्ड के मूल निवासी श्री अजय तिर्की प्रमुख सचिव मेडीकल सर्विस जो अस्पतालों का औचक निरीक्षण क ा जो नाटक कर रहे है वास्तव वह एक साजिश है।

सूत्र बताते है कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सकों,फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को मीडिया में खबरे दिखा कर उन्हें काम में निकम्मा बता कर कहीं काम में, कहीं व्यवस्था में कमीं बताकर उसे धीरे से सभी सरकारी चिकित्सकीय संस्थानों को किसी निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौपे जाने की तैयारी का हिस्सा है। हांलांकि रिलाइंस ग्रुप के अंबानी बंधु पूर्व में ही अपना प्रस्ताव दे चुके है। इसी प्रकार जो लोकायुक्त संगठन,आर्थिक अपराध अनुसंधर्न विंग आदि जो दिन रात छापा मार कार्यवाही कर रही है वह भी एक दिखावा है यह छापे भी चुनिन्दा वर्ग विशेष पर पड़ते है। किसी प्रभावशाी पर नहीं अगर गलती से छापा पड़ भी जाय तो मुख्यमंत्री जी उसे मानवीय आधार पर छोड़ देते है। और लोकायुक्त संगठन,आर्थिक अपराध अनुसंध!न विंग के अधिकारियों कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर कर उनके काम,मेहनत के दम पर भ्रष्टाचारियों से निरन्तर बसूली का सिलसिला बनाये रखने के लिए न्यायालय का भय दिखा कर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष के राजनेता सभी जानते है कि इन्हीं शिवराज सिंह चौहान ने जोर शोर से प्रचार करके विशेष न्यायालय का गठन कराया था,जो 15 फरवरी 2012 से अस्तित्व में आ चुका है। इसके तहत छःमहीने में जॉच ऐजेन्सी न्यायालय में चालान पेश करने की समय सीमा है तथा छःमाह मे अधिकतम एक वर्ष में प्रकरण का न्यायालय से निपटारा हो जायेगा,परन्तु भ्रटाचार के प्रकरणों के चालान वर्षों से शिवराज सिंह चौहान की विशेष मेहरवानी से वर्षो से लंबित पड़े है। इनक ी निजी स्थापना में भ्रष्टाचार के अधिकांश दागी और अय्याश किस्म के अधिकारी है पदस्थ है। कृषि विभाग में खरीदी हो या अनुदान या केन्द्रीय सहायता से किसानों को राहत संचालनालय में अमर सिंह परमार और बी.एल.त्यागी जैसे महाभ्रष्ट बैठे जिम्मेदार अधिकारी किसी धनपशु लुटेरे से कम नहीं है। आखिर इसके पीछे सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्टारारियों को संरक्षण देना ही एक नीति का हिस्सा है। उनसे अपने निजी हितसाधना और इन सभी का सरगना बनने केलिए ही प्रदेश के बलात्कारियों भ्रष्टारियों को अपने नजदीक जमा कर रखना ही नियति बन गयी है।किसी भी विधिक और वैधानिक कार्यवाही से इन्हें बचाये रखने के लिए कार्मिक विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास ही रखा है। अब हम तो यही कहेंगे कि इनकी इन्हीं भावनाओं और इनकें कामों को देख कर जनता इन्हें भविष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भ्रष्टाचारियों के सरगना कहिए।

समाप्त करो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 लागू करो खा.अ.नि. अधि.54

पेज 1 का शेष

रुपए 1 हजार करोड का टुकड़ा सत्ताधीश इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों और 280 विधायकों को डाल गया तो सब ऐसी बहुराष्ट्रीय कं. के अधिकारियों की चरणरज को मस्तिष्क पर लगा धन्य हो जाएंगे। सत्ताधीश श्वानों को इतनी बोटी भी मिलती रही तो पीढ़ीया तर जाएगी। ये सब अच्छी तरह जानते हैं, विदेशों में घूमे है। बहुराष्ट्रीय कं. के गिद्धों का शॉपिंग माल कल्चर जो भारत में भी सुरसा के सांप की भांति पैर पसार रहे हैं और ये भूखे जानवरों की पार्टी जो 51 प्रश पर कांग्रेस का पिछले 24 वर्षों से विरोध कर रही थी सत्ता में आते ही 100 प्रश विदेशी सीधा निवेश को मंजूरी दे दी। आखिर गुलाम की औलाद, 66 वर्ष आजाद रह चुकी, पुनः गुलामी चाहती है। इसकी छोटी सी झलक बहुराष्ट्रीय कंपनी रु. 2 प्रति किलो थोक में आलू खेत से खरीदती है। रसायनों को मिलाकर, चिप्स बनाकर, खूबसूरत प्लास्टिक की पन्नी पहनाकर रु. 15 का 12 ग्राम बैंचती है। अर्थात हमारा आलू हमारी जमीन पर, हमारा किसान, अपनी मेहनत जो 3-4 महीने करता है। पानी, बिजली, तन,मन झोंकता है, उसे लाभ का रु. किलो भी न मिले और विदेशी 6000 प्रश लाभ कमाए, फिर वही हाल पानी की बोतल विदेशी हलके पेय जो कोका, पारले, आइटीसी व सैकड़ों अन्य 10 पैसे के पानी की बोतल रु. 18 प्रति लीटर से रु. 28 से फाइव स्टार होटलों में रु. 50 तक बैचती है। हमारी लोकतंत्र बनाम लूट तंत्र की सरकार जो जालसाजियों से चुन के आती है। इन बहुराष्ट्रीय कं. का पानी बिकवाने, मोटा कमीशन खाने, रेलवे प्लेटफार्मों से करोड़ों यात्रियों के लिए ठंडे पानी के कूलर या तो लगाती ही नहीं लगाती ही नहीं है। तो बिगड़वा देती है। वह बोतल बंद पानी ठंडे पेय जल्दी खराब न हो जाए, उसमें कीड़े या बैक्टीरिया न पड़ जाए, उसमें खेतों में फसलों के कीड़े मारने वाले कोदोफास जैसे अत्याधिक हानिकारक जहर न केवल पानी में वरन् हर प्रकार के शीतल पानी से बने पेय पदार्थों में मिलाने का षड़यंत्र जिससे भारतीय पुरूष युवा न केवल नामर्द वरन् शारिरिक रूप से कमजोर होकर प्रोढ़ व वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जिसकी पोल सन् 2006 में खुलकर सतह पर सामने आ चुकने के बाद भी इन धूर्त विदेशी कं. ने जहर मिलाना बंद नहीं किया और खरबों रुपए का लाभ कमाकर विदेश भेज रही है।

5 अगस्त 2014 से यदि यह अधि. पूरी तरह लगाया जाता है, तो खुले बाजार में शक्कर दिसम्बर 2014 तक रु. 50 किलो, सोयाबीन तेल रु. 100, तुअर दाल रु. 120 गेहूं साधारण रु. 25, सबसे निचले स्तर का चावल रु. 50 से लेकर रु. 200 प्रति किलो बिकेगा, इराक युद्ध की आड़ में पेट्रोल रु. 100 लीटर बिकेगा। हर खाद्य वस्तु पैकेट में बैचे जाने पर पुराना, सड़ा, कम तोल, महंगा तो मिलेगा ही साथ में पेकिंग मटेरियल में लगने वाली प्लास्टिक एल्यूमिनियम की पन्नियां भी टनों से हर दिन निकलेगी। शिकायत करने पर माल बदलने की तो दूर लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे।

मंडियों में किसान अपनी फसल लाहर नहीं बेच पाएगा। कंपनी खेतों से ही सब्जियां, फूल आदि न्यूनतम कीमत पर खरीदेगी, जिससे किसानों की फसलों की लागत भी वसूल नहीं होगी, स्वाभाविक है, किसानों को अपनी कृषि योग्य भूमि बैचने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा, वहीं सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी चाहती है, ताकि वो जमीनों को हथिया कर खेती करें और मनमानी कीमतों पर अपना माल बैंचे। स्वाभाविक है इससे महंगाई भी आसमान छूने लगेगी और आलू, टमाटर रु. 50 प्रति किलो, प्याज रु. 100 बिकने में ज्यादा नहीं वर्ष दो वर्ष का ही समय लगेगा। इस तरह से न केवल किसानों जो प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा और सब्जी व अन्य कृषि उत्पादों का व्यवसाय करने वाले भी 50 लाख से ज्यादा बेरोजगारी झेलेंगे, पूरे देश में यह संख्या 25 करोड़ से ज्यादा होगी।

गुजराती मोदी की सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार है, जो पूंजीपतियों से मोटा कमीशन जो हजारों करोड़ से होगा हर महीने वसूल कर पूरा खाद्य व्यवसाय उनके हवाले कर देगी। जनता कल मरती आज मरे, उनकी बला से। वैसे रु. 1 प्रति किलो में गेहूं चावल अवश्य मिलेगा परंतु कोई भी दाल रु. 100 प्रति कि., सब्जियां रु. 50 प्रकि से कम नहीं मिलेगी। सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, मनमोहन बैठे या मोदी सबका उद्देश्य तो जनता को लूटना ही है।

यदि मोदी को सचमुच राष्ट्र की जनता के हितों का ख्याल है तो तत्काल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 को समाप्त करें, पुनः वही खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 लागू करें जिसमें मिलावटीयों, स्तरहीन, हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सजा का प्रावधान है, जबकि नए अधि. 06 में इन बहुराष्ट्रीय कं. के मिलावटी स्तरहीन हानिकारक खाद्य होने पर भी केवल रु. 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बेशक यह

अधि. 06 बनाया केवल बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे और निर्देशानुसार ताकि भारत के 10 करोड़ किसानों से उनकी जमीन और 10 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यावसायियों से व्यापार छीनकर जो इन कंपनियों को हजारों गुना लाभ कमाने में मोटी बाधा और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। समाप्त कर दिया जाए, हर सत्ताधीश जो 5 वर्ष के लिए आया है, चाहे वह कांग्रेस, भाजपा, सपा या अन्य कोई हो लूटने खाने और हाथ पोंछकर फैला जाने के लिए है, क्योंकि इस अधिनियम-06 को बनाते समय कांग्रेस पक्ष और भाजपा विपक्ष में थी परंतु सबको रु. 1 अरब तक हर सांसद केा जिसमें रु. 50 से 70 करोड़ विदेशी और देशी रिलायंस, टाटा, आइटीसी, बिरला, हिन्दुस्तान लीवर आदि ने मिलकर रु. 30 से 50 करोड़ हर सांसद को भी दिया था, जिन्होंने सब जानने के बाद भी तत्काल और भविष्य में मोटे कमीशन के लालच में 543 आंख भींचकर अंगूठे लगा दिए। मोदी ने अगर इस अधि.06 को यथावत लागू कर दिया तो अरबों दिलों से निकली बददुआएं मोदी और भाजपा के घोर पतन का कारण बनेगी।

90 प्रश निजी स्कूलों और कॉलेजों...

पेज 8 का शेष

हर वर्ष रु. 500 करोड़ से ज्यादा अनु. जाति, जनजाति की छात्रवृत्तियों में ये निजी स्कूल कॉलेज संचालक ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को एक ही विद्यार्थी का अलग-अलग स्कूलों में प्रवेश दिखाकर उनके बैंकों में खाते खुलवाकर हजम कर जाते हैं। इंदौश्र में भी ऐसा करोड़ों की हेराफेरी पकड़ी गई पर जब जिलाधीश व अन्य अधिकारियों से लेकर उपर मंत्री तक सब ही शामिल हो और प्रदेश के हर जिले के तहसीलदार की कहानी एक ही हो तो कौन किसे पकड़े और कैसे पकड़े, जबकि निजी स्कूलों और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में यह संचालकों की मोटी कमाई का जरिया बन चुका है, जिसका हिस्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को पाइप लाइन से पहुंचता है, यह खेल भी पिछले 30-35 वर्षों से चल रहा है। जब तक हर जिले में 10-15 शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी से लेकर नीचे तक जालसाजी करने वाले कर्मचारी और 100-200 स्कूल संचालक गिरफ्तार नहीं होंगे, इनकी जालसाजियों और लूटने के शिक्षण संस्थानों की करतूते बंद नहीं होगी। अनेकों शिक्षण संस्थाए पास होने की गारंटी देकर विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूलकर जाली अंकसूचियां और प्रमाण पत्र तक केवल 4-6 कमरों के मकानों पर बोर्ड लगाकर बांट रहे है। परंतु नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में चल रहे इस धंधे को कोई रोकने वाला नहीं है। संबंधित थाना क्षेत्रों में ऐसे मामले हर वर्ष पहुंचते है। वहां भी पैसे वाला संचालक पहले ही जमानत कर उल्टे ही विद्यार्थियों और पालकों को डरा-धमकाकर उल्टे पैर लौटा देते हैं। ऐसी फर्जी शिक्षण संस्थाओं की संख्या भी हर शहर में 25-50 से ज्यादा है। जो वर्षों से ये दुकानदारियां चलाकर अरबपति बन चुके हैं। जो नेताओं, मंत्रियों से संपर्क में रहकर उनके भी पोस्टर, बैनर्स में अपनी फोटो लगा कर विद्यार्थियों, पालको, पुलिस और शिक्षा विभाग पर रोब ऐंठकर अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं। बड़ी शान से इसलिए शासकीय अधिकारी हाथ नहीं डालते हैं। यदि पुलिस, शिक्षा विभाग हाथ डाल भी दे तो इन नेताओं मंत्रियों के फोन आने लगते हैं। शिक्षा विभाग व शासन को स्कूलों, कॉलेजों,विश्वविद्यालयों को मान्यता देने से पूर्व ही दोहरा सत्यापन, जिसमें विपरीत वर्ग के शासकीय अधिकारी कर्मचारी हो, करवाना चाहिए। सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं पर सतत निगरानी करने के लिए नियमित रूप से उड़नदस्ते हो जो हर संस्था में अचानक पहुंचकर हर स्तर पर जांच करें। पर्याप्त साधनों के अभाव में जिन्हें मान्यताएं दे दी गई है। वो किसी भी रसूखदार मंत्री, अधिकारी, पूंजीपति, नेता की हो तत्काल बंद कर देना चाहिए। हर जिले और और तहसीलदार स्तर पर स्वतंत्र संस्था हो, जो इन शिक्षा कि अत्याधिक लाभ कमाने वाली संस्थाओं को तत्काल बंद करो। चाहे वो केन्द्रीय माध्यमिक मंडल के, राज्य शिक्षा मंडल के अंतर्गत हो। स्कूल वालों ने यह एक नया तरीका अपना लिया है। सीबीएसई का राज्य की कार्रवाईयों से बचने का, बेशक हर किसी को पैसा ऐशो आराम चाहिए ये शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध करवाकर, जिलों से नहीं तो भोपाल अधिकारियों को मंत्री को उपलब्ध करवाकर मान्यताएं लाने की जालसाजीयों को तुरंत भाजपा सरकार को रोकना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम म.प्र. का औषधि व खाद्य नियंत्रण कार्यालय

महानिकम्मो और वसूलीबाजों हैं औषधि निरीक्षक

न नमूने, न निरीक्षण, जालसाजों को महीना वसूली से ही फुर्सत नहीं

भारत के 125 करोड़ मानव रुपी जानवरों पर बिना केंद्रीय औषधि नियंत्रक कार्यालय की जानकारी में लाये बिना ही लाखों प्रकार की यूरोपीय कं. द्वारा बनाई गई औषधियां, राष्ट्र के लाखों सरकारी और निजी चिकित्सालयों में लाखों डॉक्टरों द्वारा बिना बताये ही करोड़ों मरीजों पर पिछले मार्च 2005 से परीक्षण कर ली गई, मामला विधानसभाओं से होता हुआ लोकसभा और सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा परन्तु अपनी कमाई और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के आदी धूर्त गिद्ध डॉक्टरों की दलीलों के आगे टांय-टांय फिस्स होकर रह गया और न केवल रोट्र का केंद्रीय औषधि नियंत्रक वरन् राज्यों प्रमुखत म.प्र. का खाद्य एवं औषधि नियंत्रक भी मूकदर्शक बना देखता रहा।

यह इस राष्ट्र का घोर दुर्भाग्य ही हैं कि यहां सभी शीर्ष पदों पर धूर्त डकैत इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों अर्थात आई.ए.एस. ही इस राष्ट्र के हर सरकारी विभाग जो चाहे केन्द्र के हों या राज्यों के का खुदा होता है, जो किसी भी विषय के न तो विशेषज्ञ होते हैं। न ही बहुत ही गंभीर अध्ययनशील, प्रखर बुद्धि विषयों को समझने की क्षमता, दूसरी ओर महाभ्रष्ट, धूर्त, जालसाजों की गिद्ध निगाहें हर संभावित स्त्रोत से यथा शासकीय धन, जन-धन, कानूनों में उलझाकर अपने ही अधिकारियों, कर्मचारियों से कभी पदस्थापना, कभी स्थानांतरण, अधिकार देने, छीनने कारण बताओ नोटिस जारी करने, निलंबन, विभागीय जांचों में बचाने, निपटाने में ही करोड़ों रु. हजम करने के अवश्य विशेषज्ञ होते हैं। परन्तु राष्ट्र के अनबोले खुदाओं के इशारे पर ही पूरा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री व अन्य सभी मंत्रालयों से लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव तक नाचते हैं। यही सब कुछ केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग और औषधि नियंत्रक से लेकर राज्यों के स्वास्थ्य विभाग और औषधि एवं खाद्य नियंत्रक जो सभी धूर्त बैठे आईएएस ही बैठे हैं। जिनकी निगाहों में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब शतरंज की बिसात के मोहरे, अधिकारी, कर्मचारी भेड़-बकरी और जनता कीड़े-मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हैं।

म.प्र. के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक डी.डी. अग्रवाल भी केवल वसूली के ही विशेषज्ञ हैं। उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी या खाद्य निरीक्षक व औषधि निरीक्षक किस प्रकार से क्या कार्य संपन्न कर रहे हैं। उन्हें तो बस पैसा चाहिये, बहुराष्ट्रीय व बड़ी खाद्य व्यवसाय करने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां यथा पारले, केडबरीज, कोकाकोला, हिन्दुस्तान लीवर, इंडियन टौबोको कं. रिलायंस, टाटा, बिरला, जैसी 500 से ज्यादा कं. से महीना, तिमाही, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक वसूली मिल जाती हैं, तो वो इनको बचाने अपने खाद्य निरीक्षकों तक को लिखित में बड़ी कं. के नमूने लेने के विरुद्ध ही नोटिस जारी कर देते हैं। उनके नमूने ले भी लिये जायें तो उनसे ऊपर लेन-देन कर पास करवा दिये जाते हैं। दूसरी ओर जहां तक औषधि निरीक्षकों का सवाल है, तो प्रदेश के 52 जिलों में मात्र 40 औषधि निरीक्षक हैं। बेचारे ये शूकरों की फौज जब लाखों रु. प्रतिवर्ष नियंत्रक को देगी तो पहले नमूने ले या नोट, वर्षों से म.प्र. के औषधि निरीक्षकों ने न तो नमूने लिये, स्वाभाविक है जांच भी नहीं हुई तो फेल-पास होने का प्रश्न ही नहीं उठता, भले ही ये बात राष्ट्रीय स्तर पर उठकर समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जायें, हर थोक व फुटकर विक्रेता इन नरीक्षकों को महीना देता हैं। इंदौर के दवा बाजार जिससे औषधि निरीक्षक को रु. 21 लाख (700 दुकानदार × 3 हजार रु.) प्रतिमाह मिलता है। इंदौर के महाधूर्त, जालसाज औ.नि. वृंदानी ने नियंत्रक डी.डी. अग्रवाल को रु. 15 लाख देकर पुनः वहां का प्रभार संभाला है। लूप लाइन में पड़े औ.नि. गोयल और ठाकुर ने भी रु. 3-3 लाख दिये हैं। ताकि निरीक्षण के अधिकार मिल सके। औ.नि. मिगोनिया ने 2 से 3 खोके की कमाई दवा बाजार और आस-पास के क्षेत्रों से कर ली थी, इनकी मासिक लाखों की वसूली का अंदाज औषधि फैक्ट्रियों से लाखों रु. प्रतिमाह, थोक से रु. 3 से 5 हजार प्रतिमाह प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में लगभग 5000 से ज्यादा दुकानें हैं। 1 लाख से ज्यादा फुटकर दुकानें प्रदेश के 52 जिलों और 352 तहसीलों और 54903 गांवों में संचालित होती हैं। जिस पर इने गिने मात्र 40 औषधि निरीक्षक ही हैं। अब ये जालसाज शूकरों की फौज वसूली करे या औषधि के नमूने लें। 90% दुकानदार बिना पर्ची के 10 पैसे की दवा रु. 10 तक में 50% बीमारियों की दवा जनता को बांटते रहते हैं और दिन-दूनी रात-चौगुनी कमाई करते हैं। जिसमें समय बाधित, बिना शीतल में रखें धड़ल्ले से बेची जाती हैं। 90% दुकानदार औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों का खुले में उल्लंघन करते हैं। पर जहां 400 का स्टाफ होना चाहिये, प्रदेश का धूर्त, ढीला और भ्रष्ट मुख्यमंत्री मात्र 40 से ही काम चलता रहा है, अर्थात 7.25 करोड़ की आबादी पर 40 औषधि करोड़ों रु. प्रति वर्ष की वसूली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जबकि बाजार में बिकने वाली न केवल औषधियां वरन् 90% सौंदर्य प्रसाधन हेयर डाई, टूथपेस्ट, मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने के बावजूद बिक रही हैं। 90% टूथपेस्टों में मिलाया जाने वाला फ्लोराइड वयस्कों के हिसाब से मिलाया जाता है। जबकि उससे तो 2-3 वर्ष के बच्चे भा दांत साफ करते हैं। जो उनके शरीर में पहुंचकर न केवल दांतों वरन् हड्डियों व रक्ततंत्र, धमनियों को कमजोर कर रहा है। 99% गोरा बनाने की क्रीम निरी बकवास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, जो अवयस्क युवा भी प्रयोग में लाते हैं। जिससे लगाकर अनेकों रोग होने लगते हैं। पर आई.ए.एस. डी.डी. अग्रवाल को इन सबसे कोई मतलब नहीं, उसकी बला से जनता कल की मरती आज मरे, उसे तो वसूली से काम। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हरामखोर या तो उल्टे सीधे जवाब देंगे या जवाब ही नहीं देंगे।

वही हाल पूरे म.प्र. में खाद्य विभाग का भी हैं, खाद्य में भी भारी भ्रष्ट खाद्य निरीक्षकों से वहीं पर जमे रहने के लिये लाखों रु. खर्च कर वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। देवास में खाद्य निरीक्षक पथरोल, उज्जैन में वर्षा, व्यास इंदौर में भी 5 वर्षों से ज्यादा कई खाद्य निरीक्षक लाखों रु. खर्च कर जमे हैं। दूसरी ओर जब नगर निगमों के खाद्य निरीक्षक खाद्य एवं औषधि विभाग के अंतर्गत हैं। तो कैसे स्वतंत्र रुप से चाहे जहां घुसकर तीन प्रकार से खाद्य निरीक्षक विवेक गंगराड़े, संदीप पाटौदी, गौतम भाटिया, लखन शास्त्री, राजेश जैसवाल दरोगा, सेनेट्री इंस्पेक्टर और खाद्य निरीक्षक बनकर हर महीने लाखों रु. खाद्य विक्रेताओं से कैसे लूट रहे हैं।

नए शिक्षा सत्र में प्रवेश से पहले ही स्कूलों, कॉलेजों की मान्यताएं रद्द करों

90 प्रश निजी स्कूलों और कॉलेजों के पास साधन नहीं है पर्याप्त

कक्ष, पुस्तकालय,खेल मैदान, शिक्षक, पेयजल, सुरक्षित शौचालय तक नहीं फिर भी शिक्षण शुल्क हजारों से लाखों में बंद करों ये लूट की दुकाने

भारत में शिक्षा को निजी क्षेत्र में देने, स्कूलों, कॉलेजों से लेकर अब विश्वविद्यालयों तक को निजी क्षेत्र में जाने पर शिक्षा पूर्णतः न केवल स्तरहीन, जाली, अंकसूचियां, प्रमाण पत्र, डिग्रीयां, बांटने की दुकानदारी बन चुकी है। यह तथ्य चारों तरफ स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। इस बारे में अनेको याचिकाएं उच्च व सर्वोच्च न्यायालय तक में लग चुकी है। इसके विपरीत नेताओं, अधिकारियों की वसूली, भ्रष्टाचार के सरंक्षण में यह नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों तक में विद्यार्थियों और उनके पालकों से भारी लूट और वसूली दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है। भ्रष्ट, निक्कमें, गिद्ध, अय्याश, शिक्षा विभाग के अधिकांश और सरकारी विश्वविद्यालयों के अधिकारी कर्मचारी दलालों के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं को खूले में मान्यताएं देकर जबकि उनके पास पर्याप्त साधन जिसमें पीने के पानी से लेकर शौचालयों, पुस्तकालय, खेल का मैदान तो दूर, प्रार्थना करवाने के लिए भी सरकारी सड़कों का उपयोग करते हैं। शिक्षण के लिए भी पर्याप्त शिक्षकों को तो दूर, बच्चों, विद्यार्थियों को घेरे रखने के लिए अर्द्ध शिक्षितों को भर्ती कर के रु. 1500 से रु. 3000 तक के वेतन पर रख केवल मोटी फीस वसूली जाती है। मप्र पाठ्य पुस्तक निगम की पहली से 12वीं तक कोई पुस्तक विद्यालयों में इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि उन पर मोटे कमीशन की कमाई नहीं होती, न पर्याप्त कक्ष, बैठने के अभाव में भी स्कूल संचालक मोटी रिश्वतों से अनुमतियां मान्यताएं कबाड़ कर छात्रवृत्तियों हजम करने आरक्षित वर्ग के एक एक विद्यार्थी के कई स्कूलों में नाम लिखकर वसूली करना, फिर प्रायोगिक परिक्षाओं में पास करने के नाम पर, अंक सूची प्रमाण पत्र, शाला छोड़ने के प्रमाणपत्रों के नाम पर, कम उपस्थिति के नाम पर मोटी वसूलियां की जाती है। इसीलिए इन प्रदेश के 50000 से ज्यादा स्कूल संचालकों ने 5वीं, 8वीं की परिक्षा में समाप्त करवाई ताकि उनके स्कूलों में क्या चल रहा है किसी को मालूम ही न पड़े, जब विद्यार्थी 9वीं में पहुंचता है तो उसको हिन्दी-इंग्लिश भी नहीं पढ़ते बनती,इसलिए शासन को चाहिए कि इसी शिक्षण सत्र से 5वीं, 8वीं की परिक्षाएं शुरू करवाएं ताकि विद्यार्थियों को उनके पालकों को शिक्षा के स्तर की सत्यता मालूम चल सके।

दूसरी और तत्काल ऐसे सभी स्कूलों कॉलेजों की मान्यताएं रद्द की जाए जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं। परंतु प्रवेश के समय ही रु. 5000 से लेकर लाखों तक में फीस वसूल कर रहे है। लूट के इस व्यवसाय को जो साधनहीनता के बाद भी न केवल मान्यताएं लेकर आते हैं। मान्यता देने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को भी साथ में दंड संहिता के दायरे में लाकर शीघ्र जेल भेजे जाने की व्यवस्था उन स्कूल संचालकों के साथ ही की जानी चाहिए ताकि इन हरामखोरों को भविष्य के लिए सबक मिल सके।

(शेष पेज 6 पर)

व्यापमं और म.प्र.लो.से. आयोग में 2004 के बाद की भर्तियों की जांच हो

अधिकांश विभागों में भर्तियों में हुआ भारी भ्रष्टाचार

खाद्य एवं औषधि, वाणिज्यकर, लो.नि.वि. पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य

मप्र में व्यापम के घोटाले में मात्र अभी केवल पीएमटी की जांच पर आई आंच का मामला ही सुर्खियों में है, जबकि इंजि., फार्मा, प्रबंधन, कृषि आदि में प्रवेश परीक्षाएं में हुए फर्जीवाड़े का मामला ठंडे बस्ते में है। पीएमटी के फर्जीवाड़े से यह तो स्पष्ट हो गया कि पूरा मंत्रालय उसके अधिकारी कर्मचारी किस तरह से दलालों के चंगुल में फंसे रहकर करोड़ों की कमाई के चक्कर में फर्जीवाड़े को संपन्न कर रहे थे। वैसे यह कांड 1980-90 के दशक से ही कोचिंग संचालकों ने शुरू कर दिया था। आश्चर्य इस बात का है कि अनेकों कोचिंग क्लासेस का नाम आने पर भी किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हुई जबकि वास्तविकता में ये ही शिकारीयों को शिकार उपलब्ध करवाने के बदले में मोटी फीस हजम करते थे जिसमें अधिकांश इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के कोचिंग केन्द्र ही ज्यादा थे। पर शायद एसटीएफ की कोचिंग संस्थानों ने मोटी भेंट चढ़ा दी। इसलिए बड़ी शान से ये पूरे-पूरे पेज के अभी भी विज्ञापन छापकर विद्यार्थियों को फंसा रहे हैं। इसी मोटे विज्ञापनों के कारण कोई भी अखबार इनकी जालसाजियों के बारे में कुछ भी नहीं छाप रहा, जबकि इस व्यापमं ने सन् 2004 में खाद्य एवं औषधि के निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा ली थी, जिसमें बहुत से खाद्य निरीक्षकों के फर्जीवाड़े के बारे में खबरे भी उड़ी थी कि इतने फर्जी तरीके से भर्ती किए गए हैं। पर मामला शांत हो गया। व्यापमं के सभी भर्ती की परिक्षाओं में भारी लेन-देन किया जाकर ही भर्तीयां हुई थी, उसकी जांच भी शीघ्र शुरू की जाकर अपात्रों को बाहर किया जाना चाहिए ताकि पात्रों को नौकरी करने का अवसर मिल सके।

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए सभी विभागों के अधिकारी वर्ग जो सन् 2004 के बाद भर्ती किए गए जिसमें वाणिज्यकर में आए अधिकांश सह.वा.कर. अथवा वा.क. अधिकारियों में जहां तन और धन का खुलकर लेनदेन कर भर्ती अधिकारियों में कुछ महिला अधिकारी तो ऐसी है जिन्हें काम की तो दूर, बातचीत करने का तरीका तक नहीं मालूम। समझ नहीं आता कि इन्होंने कैसे तो परीक्षा पास की होगी, कैसे साक्षात्कार दिया होगा। साक्षात्कार लेने वाले कौन महारथी होंगे जिन्होंने इन्हें चयनित किया। बेशक उसमें दलालों के माध्यम से लेन-देन होकर ही नियुक्तियां की गई उसमें भी उप जिलाधीश के पद पर मु.म. शिवराज का निकट रिश्तेदार, रितु चौहान की भी भर्ती हुई थी, स्वाभाविक है, पद का दुरुपयोग होना संभावित है। मप्र लो.से. आयोग में चयन में भ्रष्टाचार भी 1980-90 से ही चल रहा हैं। चारों तरफ दलालों का सम्राज्य केवल भाजपा शासन ही दोषी नहीं, वैसे ही जैसे व्यापमं भ्रष्टाचार से भर्तीयों और प्रवेश में 1990 से कांग्रेस के समय से ही जालसाजियों होना शुरू हो चुकी थी। फिर सत्ता में बैठकर ईमानदारी की कसमें खाई जा सकती है, परंतु दूध का धुला यहां कोई नहीं है यहां भी जिसको मौका नहीं मिला बस वही ईमानदार है।

मुख्यमंत्री शिवराज के ममेरे भाई करणसिंह चौहान जो इंदौर वाणिज्यक कर में सहायक वा.कर अधिकारी है का पुत्र विशाल चौहान मप्र लो.सेवा आयोग की परिक्षा से डिप्टी कलेक्टर धार है। इसी प्रकार विजय शाह की भांज सुकृति सिंग मप्र लोक सेवा आयोग से चुनकर भर्ती की गई वर्तमान में इंदौर की खाद्य नियंत्रक है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256 37958, इंदौर कार्यालय- 0731-2015827, मोबा. 94251 25569